

संजय गॉंधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ
सीधी भर्ती

विज्ञापन संख्या: . I-50/A to E /Rectt/2021-22 (i.e. Total 05 Advertisement A to E)
आनलाइन माध्यम द्वारा कम्प्यूटर बेस्ड (CRT) परीक्षा 2021

आनलाइन आवेदन पत्र लिंक जनवरी, 2022 के तीसरे सप्ताह में विंडो खुलना संभावित है। अतः निर्धारित तिथि हेतु संस्थान की वेबसाइट— (www.sgpgims.org.in OR www.sgpgi.ac.in) नियमित रूप से देखें।

विशेष कथन—

1. आवेदक जिन्होंने पूर्व में (i) विज्ञापन संख्या— I-24/Rectt/ 2018-19 (ii) I-43/Rectt/2016-17 के सापेक्ष अपना आवेदन जमा किया है, वे भी नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं, यदि वे अपेक्षित योग्यता और अनुभव को पूरा करते हैं। हालांकि उनकी उम्र को पहले के विज्ञापन के अनुसार माना जाएगा एवं उनको शुल्क को फिर से जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु ऐसे अभ्यर्थी को पूर्व में जमा शुल्क/डीडी/लेनदेन आईडी एवं पूर्व आवेदित आवेदन पत्र की छायाप्रति उपयुक्त स्थान पर अपलोड करनी होगी। उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में प्रदान की गयी प्रासंगिक जानकारी के सत्यापन के बाद ही लागू होगी। उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गयी कोई भी जानकारी और भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में झूठी पायी जाती है तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जायेगा।

2. उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि परीक्षा के कार्यक्रम के अनुसार संस्थान वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जायेगी। उपलब्ध करायी गयी तिथि के बाद कोई आवेदन/फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन समय रहते अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में (Registered Mobile Number, Email, आधार नंबर, कैटेगरी इत्यादि को छोड़कर) संशोधन भी कर सकता है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा कार्यक्रम एवं आवेदन किये जाने की प्रक्रिया हेतु संस्थान की वेबसाइट को नियमित रूपसे देखना सुनिश्चित करें।

संजय गॉंधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के विज्ञापन संख्या— I-50/A to E /Rectt/2021-22 (i.e. Total 05 Advertisement A to E) द्वारा विज्ञापित पदो हेतु आनलाइन माध्यम से कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा— 2022 के अंतर्गत समूह ख एवं ग के विभिन्न पदो पर जिनका अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार रिक्त पदों का विवरण आगे बिंदु की सारणी-01 में दिया गया है, पर ऑनलाइन लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। एक से अधिक पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी, प्रत्येक के लिये अलग आवेदन और आवेदन शुल्क के साथ जमा करना होगा।

1— ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना— उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति (online application system) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी कृपया नीचे दी गयी प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करें

आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया

आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को निम्नलिखित पाँच भागों में विभक्त किया गया है —

1—कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन (Candidate Registration)

2— फार्म के शेष विवरण का भरा जाना (Filling Remaining Part of Form)

3- फोटो, हस्ताक्षर तथा अन्य दस्तावेज अपलोड (Photos, Signature and other documents Upload) करना

4- फीस का भुगतान तथा एप्लीकेशन फार्म सबमिशन (Fee Payment & Submit Application Form)

5-फार्म का प्रिन्टआउट लेना (Print Application Form)

नोट- अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपरोक्त वर्णित समस्त प्रक्रियाएँ एक बार में ही पूर्ण कर सकता है।

अभ्यर्थी द्वारा संस्थान की वेबसाइट www.sgpgims.org.in OR www.sgpgi.ac.in पर "ऑल नोटीफिकेशन/एडवर्टिजमेंट डिटेल (all notification / advertisement details) पर क्लिक करने पर एडवर्टिजमेंट स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी उक्त विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पदों हेतु वांछित योग्यता / योग्यताएं रखते हैं और पद हेतु विहित निर्धारित आयु सीमा (18 से 40 वर्ष) के अंतर्गत आते हैं। तदोपरांत ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करें। User Instruction में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित दिशा-निर्देश दिए गए हैं। अतः अभ्यर्थी आवेदन भरने हेतु निम्नलिखित User Instructions अवश्य पढ़ें:-

निम्नलिखित रिक्त पदों का अनारक्षित, आरक्षित श्रेणीवार पदों का विवरण निम्नवत है-

सारिणी-1

Advertisement No. (To be mentioned in application form)	Name of Posts	Number of vacant posts - Category-wise						**Disability Reservation	Pay Matrix Level as per 7 th CPC
		SC	ST	OBC	EW S	UR	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-50/A/Rectt/2021-22	Sister Grade-II**	80 (50*+30)	01	42 (02*+40)	14	115 (56*+59)	252	10	Level-7
I-50/B/Rectt/2021-22	Technician ** (Radiology)	7	-	10	03	14	34	01	Level-6
I-50/C/Rectt/2021-22	Technician (Radiography)/ Radiotherapy wing	02	-	02	-	04	08	NA	Level-6
I-50/D/Rectt/2021-22	Medical Lab Technologist**	29 (1*+28)	02	37	14	55 (01*+54)	137	05	Level-6
I-50/E/Rectt/2021-22	Junior Medical Lab Technologist**	04	-	08 (01*+07)	02	09	23	nil	Level-5

*Backlog Posts. **Horizontal

**Horizontal -	
Divyang	@ 4%
Sister Grade-II**-	ओ०एल०, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, हीमोफीलिया, अम्ल आक्रमण पीड़ित, थैलीसीमिया
Technician (Radiology)**-	ओ०एल०, ओ०ए०, पी०डी०, पी०बी०, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, हीमोफीलिया, अम्ल आक्रमण पीड़ित, थैलीसीमिया
Medical Lab Technologist**-	ओ०एल०, ओ०ए०, पी०डी०, पी०बी०, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, हीमोफीलिया, अम्ल आक्रमण पीड़ित, थैलीसीमिया

Junior Medical Lab Technologist**-	ओ0एल0,ओ0ए0, पी0डी0,पी0बी0, उपचारित कुष्ठ, बोनापन, हीमोफीलिया, अम्ल आक्रमण पीड़ित, थैलेसीमिया
Ex-Serviceman	@ 5%
Dependents of Freedom Fighters	@ 2%

ध्यान दें:-

- वे आवेदक जिन्होंने (i) विज्ञापन संख्या I-24/Rectt/ 2018-19 (ii) I-43/Rectt/2016-17 के सापेक्ष पूर्व में आवेदन किया है उन्हें भी नए सिरे से आवेदन करना होगा, यदि वे अपेक्षित योग्यता और अनुभव को पूर्ण करते हैं हालांकि, उनकी आयु को पूर्व में किये गये विज्ञापन के अनुसार माना जाएगा तथा शुल्क को भी फिर से जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, यद्यपि उन्हें सुलभ सन्दर्भ हेतु पूर्व विज्ञापनों के सापेक्ष जमा किये गये शुल्क / डीडी / लेनदेन आई0डी0 तथा पूर्व में किये गये प्रत्यावेदन की एक स्वप्रमाणित फोटो प्रति (आयु प्रमाण एवं जमा शुल्क प्रमाण हेतु) निर्धारित उपयुक्त / नियत स्थान पर संगत अभिलेखों सहित अपलोड करना अनिवार्य होगा। जिसका लाभ उपलब्ध कराये गये संगत अभिलेखों से परीक्षणोपरान्त ही मिल सकेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रदान की गयी कोई भी जानकारी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असत्य पाये जाने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा।
- विस्तृत विज्ञापन संस्थान वेबसाइट यानी www.sgpgims.org.in OR www.sgpgi.ac.in पर देखी जा सकती है।
- विज्ञापित किये गये पदों की संख्या घट/बढ़ सकती है।
- उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि आवेदित पद के सापेक्ष उक्त सारिणी के कालम 01 में अंकित विज्ञापन संख्या आवेदन पत्र भरते समय उपयुक्त कालम में अवश्य भरें। परीक्षा कार्यक्रम और परीक्षा के शहर और भर्ती के बारे में अन्य जानकारी संस्थान की वेबसाइट यानी www.sgpgims.org.in OR www.sgpgi.ac.in पर अलग से अपलोड की जाएगी। विज्ञापन से सम्बन्धित किसी भी प्रश्न अथवा स्पष्टीकरण की स्थिति में सहायता के लिए सहायता प्रकोष्ठ की ई मेल आई0 डी0 तथा फोन न0 समयानुसार संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

सामान्य निर्देश

- उपरोक्त विज्ञापित पदों हेतु विहित अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक अर्हता व अन्य सभी तरह से पात्र मानदंडों को पूरा करने वाले इच्छुक आवेदक ही अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रोफारमा संस्थान की वेबसाइट www.sgpgims.org.in OR www.sgpgi.ac.in पर उपलब्ध होंगे।
- आवेदकों को संलग्न दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक पात्रता मानदंड शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा आदि को पूरा करना होगा।
- एक पद के सापेक्ष आवेदन करने हेतु भुगतान की जाने वाली अप्रतिदेय शुल्क की धनराशि निम्नानुसार हैं:-

क्र0सं0	श्रेणी	आवेदन शुल्क	जी0एस0टी @ 18%	कुल
1.	अनारक्षित	1000.00	180.00	1180.00

2.	अन्य पिछडा वर्ग / ई0डब्ल्यू0एस	1000.00	180.00	1180.00
3.	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति	600.00	108.00	708.00

अन्य श्रेणी (क्षैतिज) से संबंधित उम्मीदवारों को उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा।

- यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करता है तो ऐसी दशा में आवेदन करने वाले उम्मीदवार के मामले में व्यक्तिगत आवेदन और आवेदन शुल्क जमा करना / प्रेषित करना आवश्यक है।
- ऑनलाइन पंजीकरण और जमा करने की प्रक्रिया एवं अनुसूची संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी तथा परीक्षा प्रकाशित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के विस्तृत कार्यक्रम के लिए संस्थान की वेबसाइट अवश्य देखें।
- उत्तर प्रदेश सरकार के आरक्षण अधिनियमों, अध्यादेशों/आदेशों में निर्धारित/नीतिगत निर्देशों के अनुसार आरक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों (ईडब्ल्यूएस) को आरक्षण व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार जो उपरोक्त तालिका में रिक्त पदों के विरुद्ध एतद सम्बन्धी उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभाग सेक्शन-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/4/1/2002/का-2/19-टी0सी0-।। दिनांक 18/02/2019, कार्मिक विभाग सेक्शन-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 5/2019/4/1/2002/का-2/2019- टी0सी0-। दिनांक 13/8/2019 एवं उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग सेक्शन-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 6/2019 /4/1/2002/का-2-/2019 टी0सी0-। दिनांक 23/10/2019 के अनुसार उल्लिखित रिक्त पदों के सापेक्ष 10 प्रतिशत आरक्षण (EWSs) को अनुमन्य किया जायेगा।
- आवेदन करने से पूर्व, उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे रिक्त पदों के लिए निर्धारित अनिवार्य योग्यता (अकादमिक) व अन्य शर्तों को पूर्ण करते हैं एवं जो निर्धारित आयु सीमा के तहत आते हैं।
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1993 दिनांक 30/12/1993 (संशोधन) अधिनियम 2018 दिनांक 01/09/2018 , एवं संशोधन अधिनियम 2021 अधिसूचना संख्या 450 (2)/LXXIX-V-1-21-ka-12-21 लखनऊ दिनांक 10/03/2021 तथा शासनादेश संख्या- 15/5/1986-का0-2/92 दिनांक 28 अप्रैल, 1992 कार्मिक अनुभाग-2 के अनुसार तथा अन्य श्रेणी (अर्थात क्षैतिज) के आरक्षण में लागू होगा एवं केवल चिन्हित पदों पर लागू होगा।
- पंजीकरण करते समय उम्मीदवार के लिए अनुरोधित पद पर टिक करना अनिवार्य है अन्यथा उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- उपरोक्त तालिका में उल्लिखित रिक्तियों की संख्या बढ़ या घट सकती है।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु में अधिकतम छूट 05 वर्ष की अवधि तक यूपी सरकार के प्रासंगिक शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगी।
- शारीरिक रूप से विकलांग (ओपीएच) उम्मीदवारों के सम्बन्ध में सामान्य श्रेणी के लिए अधिकतम 10 वर्ष, ओबीसी श्रेणी के लिए 13 वर्ष और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 15 वर्ष की छूट संलग्न दिशानिर्देशों और सरकार के प्रासंगिक शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगी।

14. स्थायी सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिन्होंने सम्बन्धित क्षेत्र में कम से कम 3 साल की नियमित और निरन्तर सेवा प्रदान की है को उत्तर प्रदेश के प्रासांगिक शासनादेशों के अनुसार अधिकतम 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।
15. भूतपूर्व सैनिकों के सम्बन्ध में अधिकतम आयु सीमा में छूट भारत सरकार के नियमानुसार होगी।
16. ऑनलाइन आवेदन पत्रों की मुद्रित/हार्ड कॉपी सहित कोई दस्तावेज डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र की एक मुद्रित/हार्ड कॉपी अपने पास रखें।
17. उम्मीदवारों को उन तीन शहरों में से अपनी वरीयताएँ देनी होंगी जिनमें परीक्षा आयोजित की जानी है (शहरों की सूची आवेदन पत्र के साथ प्रकाशित की जाएगी)। सटीक/आवंटित केंद्र एडमिट कार्ड जारी करते समय दिया जाएगा। उम्मीदवारों को उनकी दी गई प्राथमिकताओं के अनुसार केंद्र आवंटित करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि, उनके पसंदीदा विकल्पों पर स्लॉट की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में निकटतम अन्य शहरों को आवंटित किया जाएगा। इस संबंध में संस्थान (एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0 लखनऊ) का निर्णय अंतिम होगा।
18. नियमित सेवा के आवेदकों को अपने नियोक्ताओं से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा।
19. वैध आवेदन वाले उम्मीदवारों को कॉल लेटर और एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इन्हें उम्मीदवार सीधे संस्थान की वेबसाइट www.spggims.org.in OR www.spggi.ac.in से अपनी पंजीकरण संख्या / आवेदन संख्या, जन्म तिथि अंकित कर डाउनलोड कर सकते हैं। कॉल लेटर डाक से नहीं भेजे जाएंगे। यह सुविधा परीक्षा के प्रकाशित कार्यक्रम के अनुसार वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
20. लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा हेतु उपस्थित होने के लिए कोई टीए/डीए स्वीकार्य नहीं होगा।
21. सभी विवाद/मतभेद या मुकदमे केवल लखनऊ के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।
22. संस्थान के निदेशक, संजय गॉंधी पी0जी0आई0एम0एस0 लखनऊ बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी विज्ञापित पदों को भरने या न भरने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

आयु सीमा—

- (1) उपरोक्त सारिणी में उल्लिखित सभी पदों पर भर्ती हेतु आयु गणना की निर्णायक तिथि 01 जनवरी है (यदि विज्ञापन 01 जनवरी से 30 जून के बीच जारी किया जाता है) और 01 जुलाई (यदि विज्ञापन 01 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच जारी किया जाता है)। उक्त तिथि 01 जनवरी 2022 को अभ्यर्थी ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो।
- (2) उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हो।
- (3) स्थायी सरकारी कर्मचारियों के मामले में, जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में कम से कम 3 साल की नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की है, यू0पी0 सरकार, कार्मिक अनुभाग-4, संख्या-2-ई.एम/2001-केए-42013 दिनांक 27.08.2013 के अनुसार अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक छूट दी जा सकती है।

आरक्षण—

उ०प्र० की अनुसूचित आतियों / उ० प्र० की अनुसूचित जनजातियों उ० प्र० के अन्य पिछडे वर्गों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशो/ विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

क्षैतिज आरक्षण का विवरण :-

(क) जैसा कि सारणी-1 में उल्लिखित है।

(ख) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1993 दिनांक 30/12/1993 (संशोधन) अधिनियम 2018 दिनांक 01/09/2018 एवं संशोधन अधिनियम 2021 अधिसूचना संख्या 450 (2)/LXXIX-V-1-21-ka-12-21 लखनऊ दिनांक 10/03/2021 तथा शासनादेश संख्या- 15/5/1986-का0-2/92 दिनांक 28 अप्रैल, 1992 कार्मिक अनुभाग-2 तथा अन्य श्रेणी (अर्थात क्षैतिज) के आरक्षण में लागू होगा और केवल चिन्हित पदों पर लागू होगा।

अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)

उपर्युक्त सारणी-1 में उल्लिखित सभी रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं (शैक्षिक व अन्य) व अधिमानी अर्हताएं आवेदन की अन्तिम तिथि तक धारित करना अपरिहार्य है।

सारिणी -2

S. N.	Advt No.	Name of the post	Group	Essential Eligibility Criteria
1	I/50/A/Rectt/2021-22	Sister Grade-II	B	<p>Qualification :-</p> <p>(i) B.Sc. (Hons) Nursing/B.Sc Nursing from an Indian Nursing Council recognized Institute or University</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>B.Sc. (Post certificate) / Post Basic B.Sc Nursing from an Indian Nursing Council recognized Institute or University.</p> <p>(ii) Registered as Nurse & Midwife in State / India Nursing Council</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(i) Diploma in General Nursing Midwifery from an Indian Nursing Council.</p> <p>(ii) Registered as Nurse & Midwife in State / Indian Nursing Council</p> <p>(iii) Two years experience in minimum 50 bedded Hospital after acquiring the educational qualification mentioned above.</p>
2	I/50/B/Rectt/2021-22	Technician (Radiology)	C	<p>Essential Qualification :-</p> <p>A. (i) 10 + 2 with Science subjects or equivalent from a recognized Board / University.</p> <p>(ii) Diploma (2 years course) in Radiography Techniques from a recognized Institution.</p> <p>(iii) 1 year experience as Radiographer.</p> <p style="text-align: center;">OR</p>

				B. B.Sc. (Hons.) (3 years course) in Radiography from a recognized University / Institution.
3	I/50/C/Rectt /2021-22	Technician (Radiography) /Radiotherapy wing	C	1) 10 + 2 with Science subjects or equivalent from a recognized Board/University. 2) Diploma (2Years course) in Radiology/ Radiotherapy Techniques from a recognised Institution. 3) 1 year experience as Radiographer/ Radiotherapy Technician. OR B.Sc. (Hons) (3 yrs. course) in Radiography / Radiotherapy from a recognised University / Institution
	I/50/D/Rectt /2021-22	Medical Lab Technologist	C	Bachelors Degree in Medical Laboratory Technology/Medical Laboratory Science from a Govt. recognized university/ institution with two years relevant experience in a Laboratory attached with a hospital having minimum 100 beds.
5	I/50/E/Rectt/ 2021-22	Junior Medical Lab Technologist	C	10 + 2 with Science subjects (Physics, Chemistry and Biology/Biotechnology) and 2 years regular Diploma in Medical Laboratory Technology from any Govt. recognized university/institution with One year relevant experience in a Laboratory attached with a hospital having minimum 100 beds

Guidelines/ Procedure for Direct Recruitment of

Group - B (non-gazetted) & Group - C Posts

Full advertisement is being hosted at the Institute website <http://www.sggpims.org.in>
OR www.sggpi.ac.in

Application Form:

Application form is made available online at the Institute website <http://www.sggpims.org.in> OR www.sggpi.ac.in as per schedule. Applicants can submit their application online. There is no provision for offline application.

Application Fee: Payable online at the link given at appropriate place.

Schedule of Fee-

For Group B, C posts Rs. 1,000/-

Rs. 600/- for Reserved Candidates

For Group D posts

Rs . 500/-

Rs. 300/- for Reserved Candidates

(Application Fee is 'Non-refundable')

Age, Qualifications and Experience:

- i) Age for all posts shall be applicable, as notified by the State (UP) Government from time to time.-(Maximum – 40 years , Minimum- 18 years) vide Notification no. 18/2/81-Ka-2/2012 dated 06.06.2012 Karmik Anubhag-2 UP Govt
- ii) Age relaxation shall be applicable, as notified by the State (UP) Government from time to time.
- iii) Cutoff date for age, qualifications and experience
 - (a) If an advertisement is released between 01st January to 30th June then it will be 1st January of that year.
 - (b) If an advertisement is released between 01st July to 31st December then it will be 01st July of that year.

Reservation:

Reservation Rules shall be applicable, as notified by the State (UP) Government from time to time. Vide “The U.P. Public services (Reservation for SC,ST and Other Backward Classes) Act, 1994” and “The UP Public Services (Reservation for Economically weaker sections) Act 2020”

Status of the Application:

Will be displayed at the Institute website. www.sgpgims.org.in OR www.sgpgi.ac.in

Screening:

The candidates are advised to go through the requirements of age, educational qualification, experience, etc. as mentioned in the advertisement and satisfy themselves before applying that they are eligible for the respective post. In anticipation of a huge number of applicants, scrutiny of the eligibility criteria e.g. age, qualifications, experience, etc. will not be undertaken at the time of the Common Recruitment Test (CRT). Applications without application fee will be rejected. All applications with application fee shall be accepted provisionally and all candidates will be allowed to appear provisionally in the Common Recruitment Test (CRT).

If any candidate is found not fulfilling the prescribed age, qualification, experience and any other eligibility criteria as per the advertisement, at any stage of the recruitment process, even if the candidate figures in the merit list of the Common Recruitment Test (CRT), his/her candidature will be treated as cancelled without any further notice and the post will be forfeited. Candidature will be cancelled at any stage if any information or claim is not substantiated on the scrutiny of the documents by the Institute.

Selection Process:

The selection will be done on the basis of the marks obtained in the Common Recruitment Test (CRT) only.

Hall Ticket for the Common Recruitment Test (CRT):

The applicants can print their hall ticket for the Common Recruitment Test (CRT) online from the Institute website www.sgpgims.org.in OR www.sgpgi.ac.in

Common Recruitment Test (CRT):

For all posts, a Common Recruitment Test (CRT) will be held. The Common Recruitment Test (CRT) will be of **02 hours duration** and will be of **100 marks**. It will contain multiple choice questions (MCQs)

60 marks on the subject(s) related to the post and of the level of the qualifications required

10 marks on General English
10 marks on General Knowledge
10 marks on Reasoning
10 marks on Mathematical Aptitude.

1 (one) mark will be given for the correct answer and 1/3 (one-third) mark will be deducted for the wrong answer (i.e. there will be negative marking)

Minimum qualifying marks of the Common Recruitment Test (CRT) for all posts will be:-

50% for General, EWS, OBC.

45% for SC & ST

Skill Test/ Technical Examination:

A Skill Test/ Technical Examination will be conducted after the Common Recruitment Test (CRT), wherever required e.g. for the posts of Stenographer, Personal Assistant (PA), Lower Division Assistant (LDA) at present. Candidates equal to three times the number of posts advertised in each category will be shortlisted after the Common Recruitment Test (CRT) to appear for the Skill Test/ Technical Examination in Stenography/ Typing Test etc. In case of a tie at the last place, all applicants who tie at the last place at the Common Recruitment Test (CRT) will be called for the Skill Test/ Technical Examination. This list will be declared in order of Roll No./ in alphabetical order (NOT in order of merit). In such cases, however, the Skill Test/ Technical Examination will be only qualifying in nature and such marks (of the Skill Test/ Technical Examination) shall not be counted in the overall selection procedure i.e. the final selection will be made on the basis of the marks obtained in the Common Recruitment Test (CRT) only by the candidates who qualify the Skill Test/ Technical Examination.

Eligibility Status for the Skill Test/ Technical Examination:

The list of applicants eligible for the Skill Test/ Technical Examination (wherever required) after the Common Recruitment Test (CRT) will be declared on the Institute website.

Final Merit List:

The final merit list will be prepared based on the marks obtained in the Common Recruitment Test (CRT) **only** for all categories (i.e. GENERAL, OBC, SC, ST, EWS, etc) separately and rank will be awarded to all qualified applicants. While preparing the merit list for the General category, all applicants (including those from the reserved categories) will be taken into consideration, but while preparing the merit list for a reserved category, **only** applicants of that category will be taken into consideration. The same method will be applicable in all reserved categories.

Resolution of Tie: In cases where more than one candidate secures equal marks, the tie will be resolved (i) First by using the date of birth, with older candidate placed higher (ii) If not resolved by the date of birth, it will be resolved by the number of wrong answers/ negative marks, those with less wrong answers/ negative marks placed higher.

Results:

All results will be declared on the Institute website.

NOTE:

All selections made against a specific advertisement shall be applicable only for that specific advertisement, and wait list would be prepared as per the provisions of the State (UP) Government in this regard.

Canvassing in any form will be a disqualification.

Any dispute in regard to any matter referred to herein shall be subject to the jurisdiction of Lucknow Courts only.

Recruitment Cell (under the overall charge of the Joint Director (Administration)):

Will conduct the recruitment process including posting of the advertisement on the Institute website, receiving and screening (regarding submission of application fee only) the application forms, declaration of the results at various stages of the recruitment process on the Institute website, sending the formal appointment letters (through email, SMS, speed-post/registered AD, etc) and any other function related to the recruitment process.

Examination Cell:

The Examination Cell of the Institute will obtain the MCQs for the Common Recruitment Test (CRT) and will conduct the Skill Test/ Technical Examination, wherever required, with the concerned Departments/ Sections and coordinate with the Recruitment Cell and the Common Recruitment Test (CRT) conducting agency.

Supervising Committee:

The Director will constitute a Committee to supervise the recruitment process being conducted by the Recruitment Cell, Examination Cell and the Common Recruitment Test (CRT) conducting agency.

Other observations-

1. Higher qualification will not be considered a disqualification for any post.
2. Working experience in Government/ semi government organization wherever applicable will include experience either on regular post or outsourced/contractual, with accompanying evidence based certificate. Applicant will submit an affidavit that experience mentioned in the certificate is true and SGPGIMS may verify the facts from the concerned Institution/ Party.
3. For posts having experience as an Essential Criteria, the experience which has been acquired only after obtaining essential qualification will be considered as valid.
4. Any dispute with regard to any matter referred herein shall be subject to the jurisdiction of Lucknow court alone.

Note:

1. The Notification of "The Uttar Pradesh Direct Recruitment to Junior Level Posts (Discontinuation of interview) Rules 2017" Notification Miscellaneous No. 4/2017/1/1/2017-Ka-2 Dated 31 August 2017, the earlier provisions/guidelines in respect of recruitment of group 'B' (Non Gazetted), group 'C' and group 'D' are superseded by this rule 2017 and recommended to adopt these Rules for recruitment of group 'B' (Non Gazetted), group 'C' and group 'D' posts of the Institute.
2. Section 4(C) of the said Rule about Skill Test or Technical Examination was discussed in detail. It currently applies for the following posts
 - a. **Stenographer:-** Candidate should be Graduate (above 55%) with speed of 80 w.p.m. in Hindi & English stenography and 40/35 w.p.m. in English and Hindi typing and knowledge in computer applications. In absence of candidates with bilingual stenography candidates with English Stenography may be considered eligible.

- b. **Personal Assistant (PA):-** Graduate (above 55%) with speed of 80 w.p.m. in Hindi & English stenography and 40/35 w.p.m. in English and Hindi typing and knowledge in computer application with three years experience. In absence of candidates with bilingual stenography candidates with English Stenography may be considered eligible.
- c. **Lower Division Assistant (LDA):-** Graduate with knowledge of noting & drafting and 1 year experience in Govt./ Semi Govt. organization with knowledge of typing having speed of 35 w.p.m. in Hindi & 40 w.p.m. in English and knowledge of Computer.
3. The Certificate for the required skill e.g. stenography speed, typing speed, computer applications, etc is available from any competent authority/recognized institution, then that certification will suffice. However, if such a certificate is not available, Skill Test/ Technical Examination will be held. Candidates equal to three times the number of posts advertised in each category will be shortlisted after the Common Recruitment Test (CRT) to appear for the Skill Test/ Technical Examination in Stenography/ Typing Test etc. In case of a tie at the last place, all applicants who tie at the last place will be called for the Skill Test/ Technical Examination. This list will be declared in order of Roll No./ in alphabetical order (NOT in order of merit). In such cases, however, the Skill Test/ Technical Examination will be only qualifying in nature and such marks (of the Skill Test/ Technical Examination) shall not be counted in the overall selection procedure i.e. the final selection will be made on the basis of the marks obtained in the CRT only by the candidates who qualify the Skill Test/ Technical Examination. It may, therefore, so happen that a candidate who stands high in the merit list of the CRT may not be selected finally because he/she fails to qualify the Skill Test/ Technical Examination. For this reason, the final merit list of the CRT will be declared after the qualifying Skill Test/ Technical Examination only. It needs to be noted that the Skill Test/ Technical Examination which is qualifying in nature has to be held after the written examination because of logistic reasons, considering a large number of applications.

DIRECTOR

प्रेषक,

मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक: 25 सितम्बर, 2018

विषय:- उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2018 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की प्रति अनुपालनार्थ संलग्न कर प्रेषित है।

सलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,
मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 4/2018/18/1/2008(1)-का-2/2018-तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव/ सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा. मंत्रिगण, को, मा. मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
9. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
10. वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ.प्र.।
11. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को संलग्न अधिनियम की आवरण पत्र सहित 1,000 प्रतियाँ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने हेतु।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. गार्ड फाइल।

आजा से,
अरविन्द मोहन चित्रांशी
विशेष सचिव।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 1 सितम्बर, 2018

भाद्रपद 10, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1868/79-वि-1-18-1(क) 15-18

लखनऊ, 1 सितम्बर, 2018

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 पर दिनांक 1 सितम्बर, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2018

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 का अग्रतर संशोधन करने के लिये अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष से निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 23 जुलाई, 2018 को प्रवृत्त हुआ समझ जायेगा।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 4
सन् 1993 की
धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (ड) के स्थान निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

“(ड) शारीरिक निःशक्तता का तात्पर्य उन निःशक्तताओं से है जो इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।”

धारा 3 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1) में खण्ड (दो) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

“(दो) ऐसी लोक सेवाओं और पदों में, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, अभिज्ञात करें, प्रत्येक समूह के पदों में संवर्ग सदस्य संख्या में कुल रिक्तियों की संख्या का अन्यून चार प्रतिशत, संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों से भरा जाना तात्पर्यित है जिसमें से एक-एक प्रतिशत, खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए और एक प्रतिशत खण्ड (घ) और (ड) के अधीन संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जायेगा, अर्थात्:-

(क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि;

(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में हांस;

(ग) प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता;

(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता;

(ड) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुनिःशक्तता, जिसके अंतर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है.”

अनुसूची का बढ़ाया
जाना

4-मूल अधिनियम में निम्नलिखित अनुसूची अंत में बढ़ा दी जायेगी।

“अनुसूची

धारा 2 का खंड (ड) देखें
विनिर्दिष्ट शारीरिक निःशक्तता

1-शारीरिक निःशक्तता:-

क-चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता (व्यक्ति की विशिष्ट गतिविधियों को करने में असमर्थता, जो स्वयं और वस्तुओं के चालन से सहबद्ध है जिसका परिणाम पेशीकंकाली या तंत्रिका प्रणाली या दोनों में पीड़ा है), जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है:-

(क) “कुष्ठ उपचारित व्यक्ति” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कुष्ठ से उपचारित है किन्तु निम्नलिखित से पीड़ित है :-

(एक) हाथ या पैरों में संवेदना का हांस के साथ साथ आँख और पलक में संवेदना का हांस और आंशिक घात किन्तु व्यक्त विरूपता नहीं है;

(दो) व्यक्त विरूपता और आंशिक घात किन्तु अपने हाथों और पैरों में पर्याप्त चलन से सामान्य आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहने के लिए सक्षम है;

(तीन) अत्यन्त शारीरिक विकृति के साथ-साथ वृद्धावस्था, जो उन्हें कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से निवारित करती है और पद “कुष्ठ व्यक्ति” का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ख) “प्रमस्तिष्क घात” का तात्पर्य अविकासशील तंत्रिका सम्बन्धी अवस्थाओं के किसी समूह से है जो शरीर के चलन और पेशियों के समन्वयन को प्रभावित करती हैं, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में क्षति के कारण उत्पन्न होता है, साधारणः जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरन्त पश्चात होती है;

(ग) "बौनापन" का तात्पर्य किसी चिकित्सीय या आनुवांशिक दशा से है जिसके परिणाम स्वरूप किसी वयस्क व्यक्ति की ऊँचाई चार फीट दस इंच (147 से.मी.) या उससे न्यून रह जाती है;

(घ) "ऐसी दुष्पोषण" का तात्पर्य वंशानुगत, आनुवांशिक पेशी रोग के किसी समूह से है जो मानव शरीर को संचल करने वाली पेशियों को कमजोर कर देता है और बहुदुष्पोषण के रोगी व्यक्तियों के जीन में वह सूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती है, जो उन्हें उस प्रोटीन को बनाने से निवारित करती है जिसकी उन्हें स्वास्थ्य पेशियों के लिए आवश्यकता होती है। इसकी विशेषता अनुक्रमिक अस्थिपंजर, पेशी की कमजोरी, पेशी प्रोटीनों में त्रुटियाँ और पेशी कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु है;

(ङ) "अम्ल आक्रमण पीडित" का तात्पर्य अम्ल या समान संक्षारित पदार्थ फेंकने के द्वारा हिंसक आक्रमण के कारण विरूपित किसी व्यक्ति से है।

ख-दृष्टि हास-

(क) "अंधता" का तात्पर्य ऐसी दशा से है जहाँ सर्वोत्तम सुधार के पश्चात् किसी व्यक्ति में निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति विद्यमान होती है,-

(एक) दृष्टि का पूर्णतया अभाव; या

(दो) सर्वोत्तम सम्भव सुधार के साथ अच्छी आँख दृष्टि संवेदनशीलता 3/60 या 10/200 (स्नेलन) से अन्यून; या

(तीन) 10 डिग्री से कम किसी कक्षांतरित कोण पर दृश्य क्षेत्र की परिसीमा;

(ख) "निम्न दृष्टि" का तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति होती है, अर्थात्:-

(एक) बेहतर आँख में सर्वोत्तम सम्भव सुधार के साथ-साथ 6/18 से अनधिक या 20/60 से कम 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) दृश्य संवेदनशीलता; या

(दो) 40 डिग्री से कम 10 डिग्री तक की दृष्टि अंतरित किसी कोण के क्षेत्र की सीमाएं।

ग-श्रवण शक्ति का हास -

(क) "बधिर" का तात्पर्य दोनों कानों में संवाद आवृतियों से 70 डिसबिल श्रव्य हास वाले व्यक्तियों से है ;

(ख) "ऊँचा सुनने वाले व्यक्ति" का तात्पर्य दोनों कानों से संवाद आवृतियों में 60 डिसबिल से 70 डिसबिल श्रव्य हास वाले व्यक्ति से है।

घ-"अभिवाक् और भाषा निःशक्तता" का तात्पर्य लेराइनजेक्टोमी या अफेसिया जैसी स्थितियों से उद्भूत होने वाली स्थायी निःशक्तता से है, जो कार्बनिक या तंत्रिका सम्बन्धी कारणों से अभिवाक् और भाषा के एक या अधिक संघटकों को प्रभावित करती है।

2-"बौद्धिक निःशक्तता" ऐसी स्थिति है, जिसकी विशेषता दोनों बौद्धिक कार्य (तार्किक, शिक्षण, समस्या समाधान) और अनुकूलन व्यवहार में महत्वपूर्ण रूप से कमी होना है, जिसके अंतर्गत दैनिक सामाजिक और व्यवहारिक कौशल श्रृंखला आच्छादित है, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट है :-

(क) "विनिर्दिष्ट विद्या निःशक्तता" का तात्पर्य स्थितियों के किसी ऐसे विजातीय समूह से है जिसमें भाषा को बोलने या लिखने का प्रसंस्करण करने की कमी विद्यमान होती है जो बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी करने या गणितीय गणनाओं को समझने में कमी के रूप में सामने आती है और इसके अंतर्गत ऐसी स्थितियाँ सम्मिलित है यथा-बोधक निःशक्तता, डायसेलेक्सिया, डायसग्राफिया, डायसकेलकुलिया, डायसप्रेसिया और विकासात्मक अफेसिया भी सम्मिलित है;

(ख) "स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार" का तात्पर्य किसी ऐसी तंत्रिका विकास की स्थिति से है जो आमतौर पर जीवन के प्रथम तीन वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति की संपर्क करने की, संबंधों को समझने की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को प्रभावित करती है और प्रायः यह असामान्य या घिसे-पिटे कर्मकांडों या व्यवहारों से सहबद्ध होता है।

3-मानसिक व्यवहार-

"मानसिक रूग्णता" का तात्पर्य चिंतन, मनोदशा, बोध, पूर्वाभिमुखीकरण या स्मरणशक्ति के सारभूत विकार से है जो जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने

की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है किन्तु जिसके अंतर्गत मानसिक मंदता नहीं है जो किसी व्यक्ति के मास्तिष्क का विकास रूकने या अपूर्ण होने की स्थिति है, विशेषकर जिसकी विशिष्टता, बुद्धिमत्ता का सामान्य से कम होना है।

4-निम्नलिखित के कारण निःशक्तता-

(क) चिरकारी तंत्रिका दशाएं जैसे,-

(एक) "बहु-स्केलेरोसिस" का तात्पर्य प्रवाहक, तंत्रिका प्रणाली रोग से है, जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं के चारों ओर रीढ़ की हड्डी की मायलिन सीथ क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे डिमायीलिनेशन होता है और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं और रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं की एक-दूसरे के साथ संपर्क करने की क्षमता प्रभावित होती है,

(दो) "पार्किंसन रोग" का तात्पर्य तंत्रिका प्रणाली के किसी प्रगामी रोग से है, जिसके द्वारा कम्प, पेशी, कठोरता और धीमा, कठिन चलन, मुख्यतया मध्य आयु वाले और वृद्ध लोगों से सम्बंधित मस्तिष्क के आधारीय गंडिका के अद्यपतन तथा तंत्रिका संचलन डोपामाइन के ह्रास से संबद्ध हो।

(ख) रक्त विकृति,-

(एक) "हेमोफीलिया" का तात्पर्य किसी आनुवंशिकीय रोग से है जो प्रायः पुरुषों को ही प्रभावित करता है किन्तु इसे महिला द्वारा अपने पुरुष बालकों को संप्रेषित किया जाता है, इसकी विशेषता रक्त के थक्का जमने की साधारण क्षमता का नुकसान होना है जिससे गौण घाव का परिणाम भी घातक रक्तस्राव हो सकता है;

(दो) "थेलेसीमिया" का तात्पर्य वंशानुगत विकृतियों के किसी समूह से है जिसकी विशेषता हिमोग्लोबिन की कमी या अनुपस्थिति है;

(तीन) "सिक्कल कोशिका रोग" का तात्पर्य होमोलेटिक विकार से है जो रक्त की अत्यंत कमी, पीडादायक घटनाओं, और जो सहबद्ध टिशुओं और अंगों को नुकसान से विभिन्न जटिलताओं में परिलक्षित होता है;

स्पष्टीकरण-"होमोलेटिक", लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के नुकसान को निर्दिष्ट करता है जिसका परिणाम हिमोग्लोबिन का निकलना होता है।

5-बधिरता, अंधता सहित बहुनिःशक्तता (ऊपर विनिर्दिष्ट एक या एक से अधिक निःशक्तता) का तात्पर्य ऐसी किसी दशा से है जिसमें किसी व्यक्ति को श्रव्य और दृश्य का सम्मिलित ह्रास हो सकता है जिसके कारण संप्रेषण, विकास और शिक्षण संबंधी गंभीर समस्याएँ होती हैं।

6-कोई अन्य श्रेणी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।"

निरसन और
अपवाद

5-(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2018 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 11
सन् 2018

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993, शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में पदों के आरक्षण का उपबन्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ड) में शब्द "शारीरिक रूप से विकलांग" परिभाषित किये गये हैं और उक्त अधिनियम की

धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (दो) में यह उपबन्ध है कि राज्य के मामलों से सम्बन्धित लोक सेवाओं और पदों में, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक (क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि, (ख) श्रवण शक्ति में ह्रास, और (ग) चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्क घात से पीड़ित व्यक्तियों के लिए एक प्रतिशत रिक्तियाँ अभिज्ञानित कर सकती हैं।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 भारत सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया है जिसमें शब्द "दिव्यांगजन" परिभाषित किए गए हैं।

दिव्यांगजनों से सम्बन्धित उक्त केन्द्रीय अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप उक्त अधिनियम में उपबन्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को लागू करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 23 जुलाई, 2018 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा, (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2018) प्रख्यापित किया गया है।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 1868(2)/LXXIX-V-1-18-1(ka)15-18

Dated Lucknow, September 1, 2018

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Seva (Sharirik Roop Se Viklang, Swatantrata Sangram Senaniyon Ke Ashrit Aur Bhootpurva Sainikon Ke Liye Arakshan) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2018 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 32 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 1, 2018 :-

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR PHYSICALLY HANDICAPPED, DEPENDANTS OF FREEDOM FIGHTERS AND EX-SERVICEMEN) (AMENDMENT) ACT, 2018

(U.P. ACT NO. 32 OF 2018)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependants of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependants of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) (Amendment) Act, 2018.

Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on July 23, 2018.

Amendment of
section 2 of U.P.
Act no. 4 of 1993

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependants of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993 hereinafter referred to as the principal Act, for clause (e) the following clause shall be *substituted*, namely :-

"(e) Physical disability means the disabilities as specified in the Schedule appended to this Act."

Amendment of
section 3

3. In section 3 of the principal Act, in sub-section (1) for clause (ii) the following clause shall be *substituted*, namely :-

"(ii) In such public services and posts as the State Government may, by notification, identify not less than four percent, of the total number of vacancies in the cadre strength in each group of posts meant to be filled with persons with benchmark disabilities of which, one percent each shall be reserved for persons with benchmark disabilities under clauses (a), (b) and (c) and one percent for persons with benchmark disabilities under clauses (d) and (e), namely:—

(a) blindness and low vision;

(b) deaf and hard of hearing;

(c) locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy;

(d) autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness;

(e) multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf-blindness in the posts identified for each disabilities."

Insertion of
Schedule

4. In the principal Act, the following schedule shall be *inserted* at the end .

"SCHEDULE

[See clause (e) of section 2]

Specified Physical Disability

1- Physical disability:-

A. Locomotor disability (a person's inability to execute distinctive activities associated with movement of self and objects resulting from affliction of musculoskeletal or nervous system or both), including—

(a) "leprosy cured person" means a person who has been cured of leprosy but is suffering from—

(i) loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in the eye and eye-lid but with no manifest deformity;

(ii) manifest deformity and paresis but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity;

(iii) extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him/her from undertaking any gainful occupation, and the expression "leprosy cured" shall construed accordingly;

(b) "cerebral palsy" means a group of non-progressive neurological condition affecting body movements and muscle coordination, caused by damage to one or more specific areas of the brain, usually occurring before, during or shortly after birth;

(c) "dwarfism" means a medical or genetic condition resulting in an adult height of 4 feet 10 inches (147 centimeters) or less;

(d) "muscular dystrophy" means a group of hereditary genetic muscle disease that weakens the muscles that move the human body and persons with multiple dystrophy have incorrect and missing information in their genes, which prevents them from making the proteins they need for

healthy muscles. It is characterised by progressive skeletal muscle weakness, defects in muscle proteins, and the death of muscle cells and tissues;

(e) "acid attack victims" means a person disfigured due to violent assaults by throwing of acid or similar corrosive substance.

B. Visual impairment—

(a) "blindness" means a condition where a person has any of the following conditions, after best correction—

(i) total absence of sight; or

(ii) visual acuity less than 3/60 or less than 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible correction; or

(iii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 10 degree.

(b) "low-vision" means a condition where a person has any of the following conditions, namely:—

(i) visual acuity not exceeding 6/18 or less than 20/60 upto 3/60 or upto 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible corrections; or (ii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 40 degree up to 10 degree.

C. Hearing impairment—

(a) "deaf" means persons having 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;

(b) "hard of hearing" means person having 60 DB to 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears.

D. "speech and language disability" means a permanent disability arising out of conditions such as laryngectomy or aphasia affecting one or more components of speech and language due to organic or neurological causes.

2. Intellectual disability, a condition characterised by significant limitation both in intellectual functioning (reasoning, learning, problem solving) and in adaptive behaviour which covers a range of every day, social and practical skills, including—

(a) "specific learning disabilities" means a heterogeneous group of conditions wherein there is a deficit in processing language, spoken or written, that may manifest itself as a difficulty to comprehend, speak, read, write, spell, or to do mathematical calculations and includes such conditions as perceptual disabilities, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia and developmental aphasia;

(b) "autism spectrum disorder" means a neuro-developmental condition typically appearing in the first three years of life that significantly affects a person's ability to communicate, understand relationships and relate to others, and is frequently associated with unusual or stereotypical rituals or behaviours.

3. Mental behaviour,—

"mental illness" means a substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation or memory that grossly impairs judgment, behaviour, capacity to recognise reality or ability to meet the ordinary demands of life, but does not include retardation which is a condition of arrested or incomplete development of mind of a person, specially characterised by subnormality of intelligence.

4. Disability caused due to—

(a) chronic neurological conditions, such as—

(i) "multiple sclerosis" means an inflammatory, nervous system disease in which the myelin sheaths around the axons of nerve cells of the brain and spinal cord are damaged, leading to demyelination and affecting the ability of nerve cells in the brain and spinal cord to communicate with each other;

(ii) "parkinson's disease" means a progressive disease of the nervous system marked by tremor, muscular rigidity, and slow, imprecise movement, chiefly affecting middle-aged and

elderly people associated with degeneration of the basal ganglia of the brain and a deficiency of the neurotransmitter dopamine.

(b) Blood disorder—

(i) "haemophilia" means an inheritable disease, usually affecting only male but transmitted by women to their male children, characterised by loss or impairment of the normal clotting ability of blood so that a minor wound may result in fatal bleeding;

(ii) "thalassemia" means a group of inherited disorders characterised by reduced or absent amounts of haemoglobin.

(iii) "sickle cell disease" means a hemolytic disorder characterised by chronic anemia, painful events, and various complications due to associated tissue and organ damage;

Explanation :- "hemolytic" refers to the destruction of the cell membrane of red blood cells resulting in the release of haemoglobin.

5. **Multiple Disabilities** (more than one of the above specified disabilities) including deaf blindness which means a condition in which a person may have combination of hearing and visual impairments causing severe communication, developmental, and educational problems.
6. **Any other category** as may be notified by the State Government."

Repeal and
saving

5. (1) The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) (Amendment) Ordinance, 2018 is hereby repealed.

U.P.
Ordinance
no. 11 of
2018

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-servicemen) Act, 1993 has been enacted to provide for reservation of posts in favour of physically handicapped, dependents of freedom fighters and ex-servicemen. In clause (e) of section 2 of the said Act the words "physically handicapped" have been defined and clause (ii) of sub-section (1) of section 3 of the said Act provides that in such public services and posts in connection with the affairs of the State, the State Government may, by notification, identify one percent of vacancies each for person suffering from (a) blindness and low vision, (b) hearing impairment; and (c) locomotors disability or cerebral palsy.

The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, has been enacted by the Government of India in which the words "persons with disability" have been defined.

It has been decided to amend the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993 to make the provisions of the said Act identical to the provisions of the said Central Act with respect to the persons with disabilities.

Since the State Legislature was not in session and immediate Legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Public Services (Reservation For Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) (Amendment) Ordinance, 2018 (U.P. Ordinance no. 11 of 2018) was promulgated by the Governor on July 23, 2018.

This Bill is introduced to the replace the aforesaid Ordinance .

By order,

VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 242 राजपत्र-(हिन्दी)-2018-(654)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 82 सा० विधायी-2018-(655)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या-4/2017/1/1/2017-का-2
लखनऊ, दिनांक : 31 अगस्त , 2017

अधिसूचना संख्या-4/2017/1/1/2017-का-2 ,दिनांक 31 अगस्त , 2017 के द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बंद किया जाना) नियमावली, 2017 (अंग्रेजी रूपांतर सहित) की संलग्न प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव ,उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी ,उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष ,उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव ,श्री राज्यपाल ,उत्तर प्रदेश।
5. प्रमुख सचिव/ सचिव ,मा .मुख्यमंत्री जी।
6. प्रमुख सचिव ,विधान परिषद/ विधान सभा ,उत्तर प्रदेश।
7. सचिव ,राजस्व परिषद ,उत्तर प्रदेश।
8. सचिव ,लोक सेवा आयोग ,उत्तर प्रदेश ,इलाहाबाद।
9. सचिव ,उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ,लखनऊ।
10. निदेशक ,सूचना ,उत्तर प्रदेश।
11. वेब अधिकारी/ वेब मास्टर ,नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ,उत्तर प्रदेश।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अशोक कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या-4/2017/1/1/2017-का-2
लखनऊ, दिनांक: 31 अगस्त, 2017

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमावलियों और आदेशों को अधिक्रमण करके राज्यपाल, निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बंद किया जाना) नियमावली, 2017

- संक्षिप्त नाम,
प्रारम्भ एवं लागू होना
- 1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बंद किया जाना) नियमावली, 2017 कही जायेगी।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
(3) यह संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन अवर स्तरीय पदों की सीधी भर्ती पर लागू होगी, उन पदों और विभागों के सिवाय, जो सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश से इस नियमावली के लागू होने से अपवर्जित हो।
- अध्यारोही प्रभाव
- 2- यह नियमावली किसी अन्य नियमावली या आदेशों में दी गई किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगी।
- परिभाषा
- 3- इस नियमावली में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो;
(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य संगत सेवा नियमावली के अधीन नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;
(ख) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है;
(ग) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;
(घ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;
(ङ.) "अवर स्तरीय पद" का तात्पर्य समय-समय पर सरकार द्वारा समूह 'ख' (अराजपत्रित), समूह 'ग' और समूह 'घ' में यथा वर्गीकृत पदों से है;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है

अवर स्तरीय पदों पर
सीधी भर्ती में
साक्षात्कार का बंद
किया जाना

- 4- अवर स्तरीय पदों पर, सीधी भर्ती में, संगत सेवा नियमावली में चयन प्रक्रिया में विहित साक्षात्कार की व्यवस्था बंद कर दी जायेगी और ऐसी बंदी पर:-
- (क) जहाँ अवर स्तरीय पद पर सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया केवल साक्षात्कार के आधार पर विहित है वहाँ ऐसा चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा।
- (ख) जहाँ चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए पृथक अंक विहित हैं वहाँ साक्षात्कार के अंकों को, लिखित परीक्षा हेतु विहित अंकों में सम्मिलित कर दिया जायेगा। लिखित परीक्षा के लिए उपबंध न होने की दशा में, साक्षात्कार के लिए विहित अंकों को लिखित परीक्षा के लिए विहित अंक माना जायेगा।
- (ग) जहाँ चयन हेतु कौशल परीक्षण या तकनीकी परीक्षा आवश्यक हो वहाँ ऐसे परीक्षण/परीक्षा हेतु विहित अंक केवल अर्हकारी होंगे और ऐसे अंक सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया में नहीं जोड़े जायेंगे।
- (घ) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व, किसी अवर स्तरीय पद पर चयन के लिए विज्ञापन किया जा चुका है और चयन प्रक्रिया चल रही है, तो ऐसा चयन अप्रभावित रहेगा और इस निमित्त जारी किये गये विज्ञापन के अनुसार चयन किया जायेगा।
- (ङ.) यदि विशेष परिस्थितियों में, सरकार का प्रशासकीय विभाग किसी विशिष्ट अवर स्तर पद पर चयन हेतु साक्षात्कार को विहित किया जाना न्यायोचित पाता है तो प्रशासकीय विभाग सरकार के कार्मिक विभाग को समुचित प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा, जो ऐसे प्रस्ताव पर सुविचारित निर्णय लेगा।

सीधी भर्ती के अन्य
निबन्धनों और शर्तों का
अप्रभावित रहना

- 5- नियम-4 के उपबन्धों के अधीन संगत सेवा नियमावली में अंतर्विष्ट अन्य उपबन्ध अप्रभावित रहेंगे।

आज्ञा से,
दीपक त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 4/2017/1/1/2017-Ka-2, dated, August 31, 2017:

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
PERSONNEL SECTION-2

NOTIFICATION
Miscellaneous

Number-4/2017/1/1/2017-Ka-2

Dated, Lucknow, August 31, 2017

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules:

THE UTTAR PRADESH DIRECT RECRUITMENT TO JUNIOR LEVEL POSTS (DISCONTINUATION OF INTERVIEW) RULES, 2017

- | | |
|--|---|
| Short title,
Commencement
and application | 1- (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Direct Recruitment To Junior Level Posts (Discontinuation Of Interview) Rules, 2017.
(2) They shall come into force at once.
(3) They shall apply to direct recruitment to junior level posts under the rule making power of the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution, except the posts and Departments, which are excluded from application of these rules by the Government by notified order. |
| Overriding
effect | 2- These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules or orders. |
| Definitions | 3- In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:
(a) "appointing authority" means the authority empowered to make appointment under the relevant service rules;
(b) "Constitution" means the constitution of India;
(c) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh;
(d) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;
(e) "Junior Level Posts" means the posts as classified in group 'B' (non-gazetted), group 'C' and group 'D' by the Government from time to time. |
| Discontinuation
of Interview in
making direct
recruitment to
junior level
posts | 4- The provision of interview prescribed in the selection procedure in the relevant Service Rules in making direct recruitment to junior level posts shall stand discontinued, and upon such discontinuation:-
(a) Where the procedure for direct recruitment to a junior level post is prescribed on the basis of interview only, such selection shall be made on the basis of written examination only.
(b) Where separate marks are prescribed for written test and interview in the selection procedure, the marks for interview shall be included in the marks prescribed for written examination. In case there is no |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेबसाइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है

provision for written examination, the marks prescribed for interview shall be presumed as the marks prescribed for written examination.

- (c) For selection to the posts where skill test or technical examination is required, the marks prescribed for such test/examination shall be only qualifying in nature and such marks shall not be counted in the overall selection procedure.
- (d) If prior to commencement of these rules, the advertisement for selection to any junior level post has been made and the selection process is ongoing, such selection shall remain unaffected and shall be made in accordance with the advertisement issued in this behalf.
- (e) If in special circumstances, the Administrative Department of the Government finds a justification to prescribe the interview for selection to a particular junior level post, the Administrative Department will submit the appropriate proposal to the Personnel Department of the Government, which will take a well-considered decision on such proposal.

Other terms and conditions for direct recruitment to remain unaffected

- 5- Subject to the provisions of rule-4, the other provisions contained in the relevant Service Rules shall remain unaffected.

By order,
Deepak Trivedi
Additional Chief Secretary

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक:30 जनवरी, 2015

विषय:- उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 (यथासंशोधित) के प्रावधानों का अनुपालन कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सेवाओं और पदों में आरक्षण सुनिश्चित करने के परिप्रेक्ष्य में "उत्तर प्रदेशलोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 (यथासंशोधित) निर्गत किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-3(6) में निम्नवत प्रावधान है-

"यदि उपधारा(1) में उल्लिखित किसी श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे उपधारा(1) के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा।"

2 शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उपर्युक्त प्रावधान का अनुपालन पूर्णरूप से नहीं किया जा रहा है।

3 अतः कृपया अधिनियम में उल्लिखित उपर्युक्त प्रावधान का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-2/2015/87(1)/4/1/2002/का-2/2015तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 प्रमुख सचिव/सचिव, मा0मुख्यमंत्रीजी।
- 2 निजी सचिव, मा0मंत्रिगण को मंत्रिगण के सूचनार्थ।
- 3 निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
- 4 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
- 5 प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधानसभा, उत्तर प्रदेश।
- 6 रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 7 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8 समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 9 सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 10 सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 11 निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
- 11 वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 12 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 13 गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(रघुनाथ सिंह परिहार)

उप सचिव।

प्रेषक,

आलोक रंजन,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1 समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2 समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 3 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2

लखनऊ:

दिनांक: 28 अगस्त, 2015

विषय: राज्याधीन लोकसेवाओं और पदों पर आरक्षण की गणना के संबंध में।

महोदय,

शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को क्रमशः 21, 02, 27 प्रतिशत वर्टिकल आरक्षण तथा विकलांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, भूतपूर्व सैनिकों (केवल समूह-ग एवं घ के पदों पर) एवं महिलाओं के लिए क्रमशः, 03, 02, 05 एवं 20 प्रतिशत का हारिजॉन्टल आरक्षण निर्धारित किया गया है।

2 शासन के संज्ञान में कतिपय ऐसे प्रकरण आये हैं जिनमें आरक्षित रिक्तियों की गणना निर्धारित प्रतिशत के आधार पर करते समय, गणित के 'राउंडिंग ऑफ' के सिद्धांत के आधार पर रिक्तियों की गणना की जाती है। 'राउंडिंग ऑफ' के सिद्धांत के अनुसार गणना करने पर आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों, आरक्षित श्रेणी हेतु अनुमन्य प्रतिशत से अधिक हो सकती हैं, जो कि आरक्षण नियमों के विरुद्ध है। शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रतिशत से अधिक आरक्षण प्रदान किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

3 उपर्युक्त के दृष्टिगत, सम्यक् विचारोपरांत, यह निर्णय लिया गया है कि आरक्षित रिक्तियों की गणना करते समय गणित के 'राउंडिंग ऑफ' के सिद्धांत को नहीं अपनाया जायेगा, वरन् केवल पूर्णांकों को ही संज्ञान में लिया जायेगा तथा भिन्न (फ्रैक्शन) को नजरअंदाज (इग्नोर) किया जायेगा। उदाहरणार्थ यदि प्रतिशत के आधार पर आरक्षित रिक्तियों की संख्या 1.5 आती है, तो केवल 01 पद/रिक्ति आरक्षित की जाएगी तथा इसी प्रकार आरक्षित रिक्तियों की संख्या 1.99 आगणित होने पर भी आरक्षित पद/रिक्ति 01 ही होगी। अर्थात्, भिन्न (फ्रैक्शन) को नजरअंदाज (इग्नोर) किया जायेगा।

4 अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)

मुख्य सचिव।

संख्या-9/4/2/15(1)/का-2/20152/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 2 प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्रीजी।
- 3 निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
- 4 निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 5 प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधानसभा, उत्तर प्रदेश।
- 6 सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 7 सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 8 सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
- 9 निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
- 10 वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 11 संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को 1000 प्रतियाँ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने हेतु।
- 12 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 13 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

F. No. DPE-GM-12/0001/2016-GM-FTS-5410
Government of India
Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises
Department of Public Enterprises

Public Enterprises Bhavan,
Block No. -14, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110 003.
Dated: 23rd November, 2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Relaxation of terms and conditions of selection while selecting disabled Ex-servicemen and dependents of Armed Forces Personnel killed in action for recruitment in CPSEs - regarding.

The undersigned is directed to refer to D/o Ex-servicemen Welfare OM No. 28(48)/2017/D(Res-I) dated 04-09-2017 and 13-10-2017 on above stated subject vide which DPE has been requested to make provisions in the extent guidelines for relaxed standards in respect of disabled ex-serviceman/ dependents of ex-servicemen killed in action for recruitment in Central Public Sector Enterprises (CPSEs). As per extent reservation policy for recruitment of ex-servicemen in CPSEs, there is a reservation to the extent of 14.5% and 24.5 % in non-executive level posts comparable with Group 'C' & 'D' posts respectively in Government setup. This includes 4.5% reservation for disabled ex-servicemen and dependents of servicemen killed in action.


2. In view of above mentioned OMs No. 28(48)/2017/D(Res-I) dated 04-09-2017 and 13-10-2017 of D/o Ex-servicemen Welfare, all Administrative Ministries / Departments concerned with CPSEs are requested to advice CPSEs under their jurisdiction to consider making provisions for relaxed standards in respect of disabled ex-serviceman/dependents of servicemen killed in action, if sufficient number of candidates belonging to these categories are not available on the basis of general standards to fill up all the vacancies reserved for them. The candidates belonging to these categories may be selected under a relaxed standard of selection in terms of DoPT notification no.15012/8/82-Estt.(D) dated 12-02-1986 (copy enclosed) to make

P.T.O.

up the deficiency in the reserved quota subject to the condition that such relaxation will not affect the level of performance by such candidates.

3. This issues with the approval of Hon'ble Minister(HI&PE).

Encl: as above.


23/11/2017
(J. N. Prasad)
Director

To.

All Administrative Ministries / Departments concerned with CPSEs.

Copy to:

- (i) Chief Executive of all CPSEs.
- (ii) NIC, Cell DPE, for placing this OM on DPE web-site under the head Guidelines / Chapter-2 /reservations.
- (iii) D/o Ex-servicemen Welfare, Sena Bhawan, New Delhi in reference to OM No. 28(48)/2017/D(Res-I) dated 04-09-2017.
- (iv) DoPT in reference to ID note no. 1260069/2017/CR dated 01.08.2017.

(TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3 SUB-SECTION (1) OF
GAZETTE OF INDIA)

No. 15012/8/82-Estt(O)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances
and Pensions
(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 2nd February, 1986.

NOTIFICATION

G.S.R. In exercise of the powers conferred by the
proviso to article 309 of the Constitution, the President
hereby makes the following rules further to amend the
Ex-Servicemen (Re-employment in Central Civil Services and
Posts) Rules, 1979, namely:-

- (1) These rules may be called the Ex-servicemen
(Re-employment in Central Civil Services and Posts)
(Amendment) Rules, 1986.
- (2) They shall come into force on the date of their
Publication in the Official Gazette.

2. In rule 6 of the Ex-Servicemen (Re-employment in
Central Civil Services and Posts) Rules, 1979 (herein after
referred to as the said rules), after sub-rule (3), the
following sub-rules shall be inserted, namely:-

"(4) For appointment to any reserved vacancy in Group C
posts, a matriculate Ex-serviceman (which term includes
an ex-serviceman, who has obtained the Indian Army
Special Certificate of Education or the corresponding
Certificate in the Navy or the Air Force), who has
put in not less than 15 years of service in the Armed
Forces of the Union may be considered eligible for
appointment to the posts for which the essential
educational qualification prescribed is graduation
and where,

(a) work experience of technical or professional
nature is not essential; or

(b) though non-technical professional work experience
is prescribed as essential yet the appointing authority
is satisfied that the ex-serviceman is expected to
perform the duties of the post by undergoing on the job
training for a short duration.

(5) For appointment to any reserved vacancy in
Group C and Group D posts, where the prescribed
minimum educational qualification is matriculation,
the appointing authority may, at his discretion,
relax the minimum educational qualifications in
favour of an ex-serviceman who has passed the Indian

Army Class-L Examination or equivalent examination in the Navy or the Air Force, and who has put in at least 15 years of service in the Armed Forces of the Union and is otherwise considered fit to hold the post, in view of his experience and other qualifications".

3. After rule 6 of the said rules, the following rule shall be inserted namely:-

"6A. Lower standard for selection - In the case of direct recruitment, if sufficient number of candidates belonging to the ex-servicemen are not available on the basis of general standard to fill all the vacancies reserved for them, candidates belonging to the category of ex-servicemen may be selected under a relaxed standard of selection to make up the deficiency in the reserved quota subject to the condition that such relaxation will not affect the level of performance by such candidates".

K. S. R. Krishna Rao

(K. S. R. KRISHNA RAO)
DEPUTY SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA.
TELE. NO. 3011225.

To
The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri, Ring Road,
New Delhi.

No. 15012/8/82-Estt(D) New Delhi, the 12 February, 1986.

Copy forwarded to:-

1. All Ministries/Departments of the Govt. of India (including Attached & Subordinate Offices under Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension).
2. All State Govts./Union Territories.
3. President's Sectt., New Delhi.
4. Vice-President's Sectt., New Delhi.
5. Lok Sabha Sectt., New Delhi.
6. Rajya Sabha Sectt., New Delhi.
7. Comptroller and Auditor General of India for issuing similar instructions in respect of I.A. & A.O.
8. Union Public Service Commission, Dhola Park House, New Delhi w.r.t. their letter No. 1/16/82-S.II, dated 26.7.82.
9. Staff Selection Commission, Block 12, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi.
10. Ministry of Defence (D/O Defence) w.r.t. their correspondence resting with d.o. letter No. 4(6)/61/C(RES) dated 26.7.85.

.../-

प्रेषक,

मुकुल सिंहल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक: 07 फरवरी, 2020

विषय:- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लागू आरक्षण व्यवस्था हेतु प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/4/1/2002/का-2/19टी0सी-11, दिनांक 18.02.2019 द्वारा राज्य सरकार की सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर नियुक्ति के लिए आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे व्यक्तियों जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं है तथा उत्तर प्रदेश राज्य के ही मूल निवासी है, को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने हेतु आदेश निर्गत किये गये है। उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 18-02-2019 के प्रस्तर-4 के उप प्रस्तर-ख (iii) में दी गयी व्यवस्था के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लागू आरक्षण व्यवस्था हेतु कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19 टी0सी-11, दिनांक 14 मार्च, 2019 द्वारा आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र का प्रपत्र निर्धारित किया गया है। शासन के संज्ञान में आया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कतिपय जातियाँ जो उत्तर प्रदेश राज्य में अन्य पिछड़े वर्ग में चिन्हित है, जबकि भारत सरकार में सामान्य वर्ग में चिन्हित है, को भारत सरकार की सेवाओं और पदों हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रमाण-पत्र नहीं बनाया जा रहा है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की वह जातियाँ जो उत्तर प्रदेश राज्य में अन्य पिछड़े वर्ग में चिन्हित हैं किन्तु भारत सरकार में सामान्य वर्ग में चिन्हित है और भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित मानक/शर्तों को पूरी करती हैं, के लिए भारत सरकार की सेवाओं के लिए निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र बनाये जाने हेतु जिला स्तर के सक्षम अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। यदि कोई कठिनाई हो तो इस सम्बन्ध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) भारत सरकार से स्थिति तुरन्त स्पष्ट करा लें।

संलग्नक- प्रपत्र।

भवदीय,
मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1/2020/4(1)/1/2002/का-2/2019टी0सी-1, तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
8. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
9. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ को 200 प्रतियाँ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने हेतु ।
10. वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
अरविन्द मोहन चित्रांशी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

केन्द्रीय सरकार की सेवाओं के लिए मान्य प्रपत्र (उ०प्र० सरकार की सेवाओं के लिए मान्य नहीं)

Government of
(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSETS CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No.
Date:.....

VALID FOR THE YEAR

This is to certify that Shri/Smt./Kumari son/daughter/wife of permanent resident of Village/Street Post Office District in the State/Union Territory Pin Code whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her 'family** is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year His/her family does not own or possess any of the following assets*** :

- I. 5 acres of agricultural land and above;
- II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari belongs to the caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List)

Signature with seal of Office

Name

Designation

Recent Passport size attested photograph of the applicant

***Note 1:** Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

****Note 2:** The term 'Family' for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 15 years

*****Note 3:** The property held by a 'Family' in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या-6/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-I

लखनऊ, दिनांक: 23 अक्टूबर, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

भारत सरकार द्वारा संविधान में 103वां संशोधन करते हुये सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों में नियुक्ति के लिये व अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थानों (अनुदानित एवं गैर अनुदानित) में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ऐसे व्यक्तियों, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं हैं, को अधिकतम 10 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य किया गया है।

2. उक्त के अनुक्रम में समाज कल्याण विभाग के आदेश संख्या-325/26-3-2019, दिनांक 22.01.2019 द्वारा राज्य सरकार की सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों में नियुक्ति के लिये तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सभी सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थाओं (अनुदानित एवं गैर अनुदानित) में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ऐसे व्यक्तियों, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं हैं, को अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

3. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17.01.2019, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-12-4/2019 दिनांक 17.01.2019 एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-36039/1/2019-&Estt.(Res.), दिनांक 19.01.2019 में निर्धारित व्यवस्था/मानक के अनुसार कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/4/1/2002/ का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 18.02.2019 के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्याधीन सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में नियुक्ति के लिये तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सभी सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थाओं (अनुदानित एवं गैर अनुदानित) में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के ऐसे व्यक्तियों, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं हैं तथा उत्तर प्रदेश राज्य के ही मूल निवासी हैं, को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने हेतु व्यवस्था/मानक निर्धारित किया गया है।

4 भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-36039/1/2019-&Estt.(Res.), दिनांक 31.01.2019 के प्रस्तर-6.3 में निम्न व्यवस्था है:-

Where in any recruitment year any vacancy earmarked for EWS cannot be filled up due to non availability of a suitable candidate belonging to EWS, such vacancies for that particular recruitment year shall not be carried forward to the next recruitment year as backlog.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5. इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त भारत सरकार के उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 31.01.2019 के प्रस्तर-6.3 में निहित व्यवस्था के अनुसार कार्मिक अनुभाग-2 के संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 18.02.2019 के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्याधीन सेवाओं और पदों पर निम्न व्यवस्था को लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

“यदि किसी चयन वर्ष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए चिन्हांकित पदों की रिक्तियों के सापेक्ष उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उक्त रिक्तियों को आगामी चयन वर्ष में बैकलॉग के रूप में अग्रणीत नहीं किया जायेगा और उक्त रिक्ति को अनारक्षित वर्ग के अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा। ”

मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-6/2019(1)/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-I, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव/ सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
9. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
10. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
11. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
12. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ को 200 प्रतियाँ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने हेतु ।
13. वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
14. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
अरविन्द मोहन चित्रांशी
विशेष सचिव।

क्रम संख्या--20

उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति (ख) विभाग

*संख्या 5/1/66-नियुक्ति (ख)

लखनऊ, दिनांक 16 मार्च, 1970

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को समस्त प्रशासकीय विभागों का ध्यान शासनादेश संख्या 2341/2 बी -- 37-62, दिनांक 23 दिसम्बर, 1964 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या 5/1/66--नियुक्ति(ख), दिनांक 24 अगस्त, 1966, की ओर आर्काषित करने का निदेश हुआ है जिसके अन्तर्गत सेना के किसी भी भूतपूर्व कर्मचारी को, यदि वह निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक आयु का न हो, यह समझा जाता है कि वह संबंधित सेवा में अथवा पद पर नियुक्ति के लिये आयु सीमा की शर्त पूरी करता है। कुछ नियुक्ति अधिकारियों द्वारा यह जिज्ञासा प्रकट की गयी है कि क्या आयु संबंधी यह सुविधा सेना के उन्हीं भूतपूर्व कर्मचारियों को उपलब्ध है जो 3 सितम्बर, 1939 तथा 1 अप्रैल, 1946 के बीच भारतीय सेना में भर्ती हुए थे अथवा उसके बाद भर्ती हुए सेना के भूतपूर्व कर्मचारियों को भी यह सुविधा मिलेगी। दूसरा प्रश्न यह भी उठाया गया है कि क्या यह सुविधा सेना से स्वास्थ्य अथवा अनुकम्पा (Compassionate) के आधार पर सेवा विमुक्त (released) कर्मचारियों को भी उपलब्ध होगी।

2--इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि आयु संबंधी यह सुविधा सेना के सभी भूतपूर्व कर्मचारियों को प्रदान की गयी है चाहे वह सितम्बर 1939 और अप्रैल, 1946 के बीच सेना में भर्ती हुए रहे हों अथवा उसके बाद यह सुविधा राज्य सरकार के अधीन सभी सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए उपलब्ध होगी, चाहे भर्ती लोक सेवा आयोग के द्वारा हो अथवा नहीं, तथा यह हर ऐसे व्यक्ति को लागू होगी जिसने जल, थल, नभ सेना के किसी विंग में सेवा की हो। ऐसे व्यक्ति की संतोषजनक प्रमाणित सेना सेवा (Satisfactory approved military service) होनी चाहिये और उसे संबंधित सेवा अथवा पद की अन्य निर्धारित शर्तों के अनुसार नियुक्ति के लिये अन्यथा उपयुक्त होना चाहिये।

प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव।

संख्या 17/2/1981—कार्मिक-2

क्रम संख्या—35

प्रेषक,

श्री जी० पी० शुक्ल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1—समस्त सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2—समस्त मण्डलाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 3—समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 28 फरवरी, 1985

विषय :—सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले समूह "क" तथा समूह "ख" पदों में नियुक्ति के लिये आपातकालीन कमीशन-प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित भूतपूर्व सैनिकों तथा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दिया जाना।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग के शासनादेश संख्या 2003/40-रा० एकी०-6-11-77, दिनांक 20-8-1977 की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है जिसमें सेना के विकलांग अधिकारियों तथा इमरजेंसी कर्मिण्ड, शार्ट-सर्विस कमीशंड अफसरों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए समूह "क" एवं "ख" के पदों/सेवाओं में 8-8 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है। इसी सम्बन्ध में तत्कालीन नियुक्ति विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं० 5/1/66—नियुक्ति (ख) दिनांक 24-8-1966 की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निर्गत आदेशों के अधीन उ० प्र० लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा अथवा चुनाव के आधार पर से भिन्न अन्य किसी प्रकार से भरा जाता है, सेना में की गई सेवा की सम्पूर्ण अवधि इसकी वास्तविक आयु में घटा दी जाती है और यदि इस प्रकार घटाई गई आयु निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जाता है कि उपर्युक्त अन्वर्थी अधिकतम आयु के सम्बन्ध में पद पर नियुक्त किये जाने की शर्त को पूरा करता है।

2—भूतपूर्व सैनिक के पुनर्नियोजन से सम्बन्धित अधिकारियों के कार्यदल की विभिन्न सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए, राज्याधीन सेवाओं/पदों पर सीधी भर्ती द्वारा समूह "क" तथा समूह "ख" पदों पर नियुक्ति के लिए ध्यान के सम्बन्ध में आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित, भूतपूर्व सैनिकों तथा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामलों में ऊपरी आयु सीमा में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग, उ० प्र० के परामर्श से शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :—

(क) समूह "क" तथा समूह "ख" के पदों में, जिनमें सीधी भर्ती प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर की जाती है, उनमें नियुक्ति के लिए सेना के आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित, भूतपूर्व सैनिकों तथा कमीशन प्राप्त उन अधिकारियों को, जिन्होंने सेना में कम से कम पांच वर्ष की सेवा कर ली हो, निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिकतम पांच वर्ष तक की छूट, सेवाकाल की आधार मानकर, दी जायगी। यह छूट उन सैनिकों/अधिकारियों को भी अनुमन्य होगी जो छः माह की अवधि में कार्यमुक्त होने वाले हों परन्तु निम्नलिखित को अनुमन्य नहीं होगी :—

- (1) जो कदाचार अथवा अकुशलता के कारण बर्खास्त हुए हों,
- (2) जो सेना की सेवा में अवगुण समझी जाने वाली शारीरिक अयोग्यता अथवा अशक्तता के कारण सेवा मुक्त हुए हों।

(ख) समूह "क" तथा समूह "ख" के जिन पदों पर सीधी भर्ती प्रतियोगितात्मक परीक्षा से अन्य प्रक्रिया से की जाती है, उन पर आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित भूतपूर्व सैनिकों तथा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को वर्तमान में लागू आदेशों जो नियुक्ति (ख) विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 5/1/66—नियुक्ति (ख), दिनांक 24 अगस्त, 1966 में प्रसारित किये गये थे, के अनुसार सेना में की गई सेवावधि के अतिरिक्त तीन वर्ष की छूट अनुमन्य रहेगी।

3—कृपया इस निर्णय से अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कार्यालयों को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
जी० पी० शुक्ल,
सचिव।

संख्या 17/2/1981 (1)—कार्मिक-2, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- (1) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
- (2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- (3) सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- (4) समस्त मंत्रियों के सूचनार्थ उनके निजी सचिव ।
- (5) सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उ० प्र० ।
- (6) सचिव, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०, इलाहाबाद ।
- (7) सचिव, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

आज्ञा से,
रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव ।

2. अतः सम्यक विचारोपरान्त भारत सरकार की पुनरीक्षित परिभाषा के आधार पर शासन ने भूतपूर्व सैनिकों की निम्न परिभाषा निर्धारित की है :-

“भूतपूर्व सैनिक” का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने संघ की नियमित शशस्त्र सेना (थल, जल एवं नभ) में किसी कोटि (रैंक) में चाहे योषक के रूप में अथवा अनायोषक के रूप में सेवा की हो और

(1) जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो, या

(2) जो चिकित्सीय आधार पर (on medical grounds) जैसाकि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया हो, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण में सं बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सीय या अन्य अयोग्यता पेंशन दी गयी हो, या

(3) जो ऐसी सैन्य सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, अपनी स्वयं की प्रार्थना के बिना (otherwise than on his own request) निर्मुक्त किये गये हों, या

(4) जो विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया हो (किन्तु जो अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त या दुराचरण अथवा अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवान्मुक्त न किया गया हो) और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी हो तथा इनमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे :

(क) निरन्तर संगठित (एम्बाडीड) सेवा के लिए पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति,

(ख) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और

(ग) वीरता अनुतोष (गैलेन्ट्री एवार्ड) प्राप्त करने वाले व्यक्ति ।

3. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होंगे ।

भवदीय,

नीरा यादव, सचिव ।



2. भू० पू० सैनिकों को शैक्षिक अर्हता में समकक्षता/छूट के सम्बन्ध में

संख्या-15/5/1986-का०-2/92

प्रेषक, सेवा में,
ओ०पी० आर्य, 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन ।
सचिव, 2-समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र० ।
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 28 अप्रैल, 1992

विषय :- कतिपय श्रेणी के भूतपूर्व सैनिकों को उनके लिये आरक्षित सिविल सेवा में शैक्षिक अर्हता में समकक्षता/छूट के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या : 15012/8/82-स्थापना (डी) दिनांक 12 फरवरी, 1986 तथा भूतपूर्व सैनिक पुनर्वास कार्यान्वयन समिति के प्रस्तावों पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो मैट्रीकुलेट हों तथा इण्डियन स्पेशल आर्मी सर्टीफिकेट आफ एजुकेशन या नौ सेना/वायु सेना में समकक्षीय सर्टीफिकेट प्राप्त किये हों तथा संघ की शशस्त्र सेवा में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, को उनके लिए आरक्षित सिविल पदों के समूह “ग” की उन सेवाओं/पदों के लिये अर्ह माना जायेगा, जिसके लिये न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक निर्धारित हो, परन्तु जहां उनके लिये तकनीकी या व्यावसायिक कार्य अनुभव अनिवार्य न हो या जहां गैर तकनीकी

व्यावसायिक कार्य अनुभव अनिवार्य हो और नियुक्ति प्राधिकारी का सन्तोष हो जाय कि ऐसे भूतपूर्व सैनिक अल्प प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं।

(2) भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित सिविल सेवा के समूह "ग" व "घ" के ऐसे पदों, जिनके लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता मैट्रीकुलेशन निर्धारित हो, नियुक्ति प्राधिकारी अपने स्वविवेक से ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से छूट प्रदान कर सकते हैं, जिन्होंने इण्डियन आर्मी क्लास-1 परीक्षा या उसके समकक्षीय नौ सेना या वायु सेना की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और संघ की सशस्त्र सेवा में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और अन्यथा कार्य अनुभव एवं अर्हताओं के आधार पर उन्हें उक्त पद के दायित्वों के निर्वहन के लिए उपयुक्त समझा जाय।

(3) यदि भूतपूर्व सैनिक समूह "ग" व "घ" के पदों के विरुद्ध निर्धारित सीमा तक चयनित न हो सकें तो दक्षता को कुप्रभावित किये बगैर सामान्य मापदण्ड को इस सीमा तक शिथिल किया जा सकता है, जिससे आरक्षण का कोटा पूरा हो जाये।

2. कृपया उपरोक्त निर्णयों से अपने अधीनस्थ समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।



भवदीय,
ओ०पी० आर्य, सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 18/2/81/का-2-2012

लखनऊ, 06 जून, 2012

उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (दशवां संशोधन) नियमावली, 2012 (अंग्रेजी रूपान्तर सहित)की संलग्न प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 4- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
- 5- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 6- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 7- सचिव, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 8- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 9- वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 10- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तर प्रदेश, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि संलग्न नियमावली को सरकारी असाधारण गजट, उत्तर प्रदेश के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) सामान्य परिनियम नियम के अन्तर्गत प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा संलग्न नियमावली की हिन्दी व अंग्रेजी में मुद्रित 5000 प्रतियाँ कार्मिक अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

एच०एल० गुप्ता,

विशेष सचिव।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ बुधवार, 06 जून, 2012
ज्येष्ठ 16, 1934 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 18/2/81-का-2-2012
लखनऊ, 6 जून, 2012

अधिसूचना

सा०प०नि०-92

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, सज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 1972 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (दशवां संशोधन)
नियमावली, 2012

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (दशवां संशोधन) संक्षिप्त नाम और
नियमावली, 2012 कही जायेगी। प्रारम्भ

2-यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 1972 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

अधिकतम आयु सीमा (2) राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं में और पदों पर भर्ती के संबंध में जिनके लिए अधिकतम आयु सीमा बत्तीस वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा पैंतीस वर्ष होगी।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

अधिकतम आयु सीमा (2) राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं में और पदों पर भर्ती के संबंध में जिनके लिए अधिकतम आयु सीमा पैंतीस वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा चालीस वर्ष होगी:

परन्तु जहाँ उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (दशवां संशोधन) नियमावली, 2012 के प्रारम्भ होने के पूर्व विज्ञापन किया जा चुका है, वहाँ अधिकतम आयु सीमा वही होगी, जो उक्त नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व विद्यमान थी।

आज्ञा से,
राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication, of the following English translation of notification no. 18/II/81-Ka-2-2012, dated June 6, 2012:

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

PERSONNEL SECTION-2

No. 18/II/81-Ka-2-2012

Dated Lucknow, June 6, 2012

IN exercise of the powers under the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules to amending the Uttar Pradesh Recruitment to Services (Age Limit) Rules, 1972.

THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT TO SERVICES (AGE LIMIT)
(TENTH AMENDMENT) RULES, 2012

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Recruitment to Services (Age Limit) (Tenth Amendment) rules, 2012.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of rule 2

2. In the Uttar Pradesh Recruitment to Services (Age Limit) Rules, 1972 for the existing rule 2 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-

COLUMN-1

Existing rule

Maximum Age Limit 2. The upper age limit for recruitment to all such services and posts under the rule making power of the Governor, for which the upper age limit is thirty two years, shall be thirty five years.

COLUMN-2

Rule as hereby substituted

Maximum Age Limit 2. The upper age limit for recruitment to all such services and posts under the rule making power of the Governor, for which the upper age limit is thirty two years, shall be forty years:

Provided that where advertisement has been made before the commencement of the Uttar Pradesh recruitment to Services (Age Limit) (Tenth Amendment) rules, 2012, the upper age limit shall be as it existed before the commencement of the said rules.

By order,
RAJIV KUMAR,
Pramukh Sachiv.

की

प्रेषित
खण्ड
के की
कराने

पी0एस0यू0पी-ए0पी0 238 राजपत्र (हि०)-(1355)-2012-599 प्रतियां (क०/आ०)।

पी0एस0यू0पी-ए0पी0 15सा० नियुक्ति-(879)-2012-5000-प्रतियां (क०/आ०)।

प्रेषक,

मुकुल सिंहल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक: 03 अगस्त, 2018

विषय:- उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2018 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक "उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2018" की प्रति अनुपालनार्थ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,
मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 3/2018/18/1/2008(1)-का-2/2018-तद्विनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 2) प्रमुख सचिव/ सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
- 3) निजी सचिव, मा. मंत्रिगण को, मा. मंत्रिगण के सूचनार्थ।
- 4) निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 5) प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
- 6) सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 7) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 8) सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
- 9) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
- 10) वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ.प्र.।
- 11) संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को संलग्न अध्यादेश की 1,000 प्रतियाँ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने हेतु।
- 12) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरविन्द मोहन चित्रांशी
विशेष सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-2, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, सोमवार, 23 जुलाई, 2018
श्रावण 1, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1

संख्या 1449/79-वि-1-18-2(क)11-2018
लखनऊ, 23 जुलाई, 2018

अधिसूचना
विविध

संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2018) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2018
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2018)

[भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधानमण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है, कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:-

1-यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2018 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम
संख्या 4 सन् 1993
की धारा 2 का
संशोधन

2-उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(ड.) शारीरिक निःशक्तता का तात्पर्य उन निःशक्तताओं से है जो इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।"

धारा 3 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1) में खण्ड (दो) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(दो) ऐसी लोक सेवाओं और पदों में, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, अभिज्ञात करे, प्रत्येक समूह के पदों में संवर्ग सदस्य संख्या में कुल रिक्तियों की संख्या का अन्यून चार प्रतिशत, संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों से भरा जाना तात्पर्यित है जिसमें से एक-एक प्रतिशत, खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए और एक प्रतिशत, खण्ड (घ) और (ड.) के अधीन संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जायेगा, अर्थात् :-

(क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि;

(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में हास;

(ग) प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता;

(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता;

(ड.) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुनिःशक्तता, जिसके अंतर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है;"

अनुसूची का बढ़ाया
जाना

4-मूल अधिनियम में निम्नलिखित अनुसूची अंत में बढ़ा दी जायेगी।

अनुसूची

धारा 2 का खंड (ड.) देखें

विनिर्दिष्ट शारीरिक निःशक्तता

1-शारीरिक निःशक्तता:-

क-चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता (व्यक्ति की विशिष्ट गतिविधियों को करने में असमर्थता, जो स्वयं और वस्तुओं के चालन से सहबद्ध है जिसका परिणाम पेशीकंकाली या तंत्रिका प्रणाली या दोनों में पीड़ा है), जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है: (क) "कुष्ठ उपचारित व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कुष्ठ से उपचारित है किन्तु निम्नलिखित से पीड़ित है -

(एक) हाथ या पैरों में संवेदना का हास के साथ-साथ आँख और पलक में संवेदना का हास और आंशिक घात किंतु व्यक्त विरूपता नहीं है;

(दो) व्यक्त विरूपता और आंशिक घात किंतु उनके हाथों और पैरों में पर्याप्त चलन से सामान्य आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहने के लिए सक्षम है;

(तीन) अत्यन्त शारीरिक विकृति के साथ-साथ वृद्धावस्था, जो उन्हें कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से निवारित करती है और पद "कुष्ठ व्यक्ति" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ख) "प्रमस्तिष्क घात" का तात्पर्य अविकासशील तन्त्रिका सम्बन्धी अवस्थाओं के किसी समूह से है जो शरीर के चलन और पेशियों के समन्वयन को प्रभावित करती है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में क्षति के कारण उत्पन्न होता है, साधारण: जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत पश्चात होती है;

(ग) "बौनापन" का तात्पर्य किसी चिकित्सीय या आनुवांशिक दशा से है जिसके परिणाम स्वरूप किसी वयस्क व्यक्ति की ऊंचाई चार फीट दस इंच (147 से.मी.) या उससे न्यून रह जाती है;

(घ) "पेशी दुष्पोषण" का तात्पर्य वंशानुगत, आनुवांशिक पेशी रोग के किसी समूह से है जो मानव शरीर को संचल करने वाली पेशियों को कमजोर कर देता है और बहुदुष्पोषण के रोगी व्यक्तियों के जीन में वह सूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती है, जो उन्हें उस प्रोटीन को बनाने से निवारित करती है जिसकी उन्हें स्वस्थ पेशियों के लिए आवश्यकता होती है। इसकी विशेषता अनुक्रमिक अस्थिपंजर, पेशी की कमजोरी, पेशी प्रोटीनों में त्रुटियां और पेशी कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु है;

(ड.) "अम्ल आक्रमण पीड़ित" का तात्पर्य अम्ल या समान संक्षारित पदार्थ फेंकने के द्वारा हिंसक आक्रमण के कारण विरूपित किसी व्यक्ति से है;

ख- दृष्टि हास -

(क) "अंधता" का तात्पर्य ऐसी दशा से है जहाँ सर्वोत्तम सुधार के पश्चात किसी व्यक्ति में निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति विद्यमान होती है,-

(एक) दृष्टि का पूर्णतया अभाव; या

(दो) सर्वोत्तम सम्भव सुधार के साथ अच्छी आँख दृष्टि संवेदनशीलता 3/60 या 10/200 (स्नेलन) से अन्यून; या

(तीन) 10 डिग्री से कम किसी कक्षांतरित कोण पर दृश्य क्षेत्र की परिसीमा;

(ख) "निम्न दृष्टि" का तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति होती है, अर्थात् -

(एक) बेहतर आंख में सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ-साथ 6/18 से अनधिक या 20/60 से कम 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) दृश्य संवेदनशीलता; या

(दो) 40 डिग्री से कम 10 डिग्री तक की दृष्टि अंतरित किसी कोण के क्षेत्र की सीमाएं।

ग-"श्रवण शक्ति का हास"-

(क) "बधिर" का तात्पर्य दोनों कानों में संवाद आवृत्तियों से 70 डिसबिल श्रव्य हास वाले व्यक्तियों से है;

(ख) "ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति" का तात्पर्य दोनों कानों से संवाद आवृत्तियों में 60 डिसबिल से 70 डिसबिल श्रव्य हास्य वाले व्यक्ति से है;

घ-"अभिवाक् और भाषा निःशक्तता" का तात्पर्य लेराइनजेक्टोमी या अफेसिया जैसी स्थितियों से उदभूत होने वाली स्थायी निःशक्तता से है, जो कार्बनिक या तंत्रिका सम्बन्धी कारणों से अभिवाक् और भाषा के एक या अधिक संघटकों को प्रभावित करती है।

2-"बौद्धिक निःशक्तता" ऐसी स्थिति है, जिसकी विशेषता दोनों बौद्धिक कार्य (तार्किक, शिक्षण, समस्या समाधान) और अनुकूलन व्यवहार में महत्वपूर्ण रूप से कमी होना है, जिसके अंतर्गत दैनिक सामाजिक और व्यवहारिक कौशल श्रृंखला आच्छादित है, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट है:-

(क) "विनिर्दिष्ट विद्या निःशक्तता" का तात्पर्य स्थितियों के किसी ऐसे विजातीय समूह से है जिसमें भाषा को बोलने या लिखने का प्रसंस्करण करने की कमी विद्यमान होती है जो बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी करने या गणितीय गणनाओं को समझने में कमी के रूप में सामने आती है और इसके अंतर्गत ऐसी स्थितियां सम्मिलित हैं यथा- बोधक निःशक्तता, डायसेलेक्सिया, डायसग्राफिया, डायसकेलकुलिया, डायसप्रेसिया और विकासात्मक अफेसिया भी सम्मिलित हैं;

(ख) "स्वलीनता स्पैक्ट्रम विकार" का तात्पर्य किसी ऐसी तंत्रिका विकास की स्थिति से है जो आमतौर पर जीवन के प्रथम तीन वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति की संपर्क करने की, संबंधों को समझने की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को प्रभावित करती है और प्रायः यह असामान्य या घिसे-पिटे कर्मकांडों या व्यवहारों से सहबद्ध होता है।

3-मानसिक व्यवहार-"मानसिक रूग्णता" का तात्पर्य चिंतन, मनोदशा, बोध, पूर्वाभिमुखीकरण या स्मरणशक्ति के सारभूत विकार से है जो जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है किंतु जिसके अंतर्गत मानसिक मंदता नहीं है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास रुकने या अपूर्ण होने की स्थिति है, विशेषकर जिसकी विशिष्टता, बुद्धिमता का सामान्य से कम होना है।

4-निम्नलिखित के कारण निःशक्तता-

(क) चिरकारी तंत्रिका दशाएं, जैसे-

(एक) "बहु-स्केलेरोसिस" का तात्पर्य प्रवाहक, तंत्रिका प्रणाली रोग से है, जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं के चारों ओर रीढ़ की हड्डी की मायलिन सीथ क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे डिमायीलिनेशन होता है और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं और रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं की एक-दूसरे के साथ संपर्क करने की क्षमता प्रभावित होती है;

(दो) "पार्किंसन रोग" का तात्पर्य तंत्रिका प्रणाली के किसी प्रगामी रोग से है, जिसके द्वारा कम्प, पेशी, कठोरता और धीमा, कठिन चलन, मुख्यतया मध्य आयु वाले और वृद्ध लोगों से सम्बंधित मस्तिष्क के आधारीय गंडिका के अद्यपतन तथा तंत्रिका संचलन डोपामाइन के हास से संबद्ध हो।

(ख) रक्त विकृति-

(एक) "हेमोफीलिया" का तात्पर्य किसी आनुवंशिकीय रोग से है जो प्रायः पुरुषों को ही प्रभावित करता है किंतु इसे महिला द्वारा अपने पुरुष बालकों को संप्रेषित किया जाता है, इसकी विशेषता रक्त के थक्का जमने की साधारण क्षमता का नुकसान होना है जिससे गौण घाव का परिणाम भी घातक रक्तस्राव हो सकता है;

(दो) "थैलेसीमिया" का तात्पर्य वंशानुगत विकृतियों के किसी समूह से है जिसकी विशेषता हिमोग्लोबिन की कमी या अनुपस्थिति है;

(तीन) "सिक्कल कोशिका रोग" का तात्पर्य होमोलेटिक विकार से है जो रक्त की अत्यन्त कमी, पीड़ादायक घटनाओं, और जो सहबद्ध टिशुओं और अंगों को नुकसान से विभिन्न जटिलताओं में परिलक्षित होता है;

स्पष्टीकरण- "हेमोलेटिक", लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के नुकसान को निर्दिष्ट करता है जिसका परिणाम हिमोग्लोबिन का निकलना होता है।

5-बधिरता, अंधता सहित बहुनिःशक्तता (ऊपर विनिर्दिष्ट एक या एक से अधिक निशक्तता) का तात्पर्य ऐसी किसी दशा से है जिसमें किसी व्यक्ति को श्रव्य और दृश्य का सम्मिलित ह्रास हो सकता है जिसके कारण संप्रेषण, विकास और शिक्षण संबंधी गंभीर समस्याएँ होती हैं।

6-कोई अन्य श्रेणी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

राम नाईक,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 1449(2)/LXXIX-V-1-18-2(ka)11-2018

Dated Lucknow, July 23, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Seva (Sharirik Roop Se Viklang, Swatantrata Sangram Senaniyon Ke Ashrit Aur Bhotpurva Sainikon Ke Liye Arakshan) (Sanshodhan) Adhyadesh, 2018 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 11 of 2018) promulgated by the Governor:-

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR PHYSICALLY HANDICAPPED, DEPENDANTS OF FREEDOM FIGHTERS AND EX-SERVICEMEN) (AMENDMENT) ORDINANCE, 2018

(U.P. Ordinance No. 11 of 2018)

(Promulgated by the Governor in the Sixty - ninth Year of the Republic of India)

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependants of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependants of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) (Amendment) Ordinance, 2018. Short title

Amendment of
section 2 of U.P. Act
no. 4 of 1993

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependants of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993 hereinafter referred to as the principal Act, for clause (e) the following clause shall be *substituted*, namely :-

"(e) Physical disability means the disabilities as specified in the Schedule appended to this Act."

Amendment of
section 3

3. In section 3 of the principal Act, in sub-section (1) for clause (ii) the following clause shall be *substituted*, namely :-

"(ii) In such public services and posts as the State Government may, by notification, identify not less than four percent, of the total number of vacancies in the cadre strength in each group of posts meant to be filled with persons with benchmark disabilities of which, one percent each shall be reserved for persons with benchmark disabilities under clauses (a), (b) and (c) and one percent for persons with benchmark disabilities under clauses (d) and (e), namely:—

(a) blindness and low vision;

(b) deaf and hard of hearing;

(c) locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy;

(d) autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness;

(e) multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf-blindness in the posts identified for each disabilities."

Insertion of
Schedule

4. In the principal Act, the following Schedule shall be inserted at the end.

The Schedule

[see clause (e) of section 2]

Specified Physical Disability

1. Physical disability:-

A. Locomotor disability (a person's inability to execute distinctive activities associated with movement of self and objects resulting from affliction of musculoskeletal or nervous system or both), including—

(a) "leprosy cured person" means a person who has been cured of leprosy but is suffering from—

(i) loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in the eye and eye-lid but with no manifest deformity;

(ii) manifest deformity and paresis but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity;

(iii) extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him/her from undertaking any gainful occupation, and the expression "leprosy cured" shall be construed accordingly.

(b) "cerebral palsy" means a group of non-progressive neurological condition affecting body movements and muscle coordination, caused by damage to one or more specific areas of the brain, usually occurring before, during or shortly after birth;

(c) "dwarfism" means a medical or genetic condition resulting in an adult height of 4 feet 10 inches (147 centimeters) or less;

(d) "muscular dystrophy" means a group of hereditary genetic muscle disease that weakens the muscles that move the human body and persons with multiple dystrophy have incorrect and missing information in their genes, which prevents them from making the proteins they need for healthy muscles. It is characterised by progressive skeletal muscle weakness, defects in muscle proteins, and the death of muscle cells and tissues;

(e) "acid attack victims" means a person disfigured due to violent assaults by throwing of acid or similar corrosive substance.

B. Visual impairment—

(a) "blindness" means a condition where a person has any of the following conditions, after best correction—

- (i) total absence of sight; or
- (ii) visual acuity less than 3/60 or less than 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible correction; or
- (iii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 10 degree.

(b) "low-vision" means a condition where a person has any of the following conditions, namely:—

- (i) visual acuity not exceeding 6/18 or less than 20/60 upto 3/60 or upto 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible corrections; or
- (ii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 40 degree up to 10 degree.

C. Hearing impairment—

(a) "deaf" means persons having 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;

(b) "hard of hearing" means person having 60 DB to 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;

D. "Speech and Language Disability" means a permanent disability arising out of conditions such as laryngectomy or aphasia affecting one or more components of speech and language due to organic or neurological causes.

2. Intellectual disability, a condition characterised by significant limitation both in intellectual functioning (reasoning, learning, problem solving) and in adaptive behaviour which covers a range of every day, social and practical skills, including—

(a) "specific learning disabilities" means a heterogeneous group of conditions wherein there is a deficit in processing language, spoken or written, that may manifest itself as a difficulty to comprehend, speak, read, write, spell, or to do mathematical calculations and includes such conditions as perceptual disabilities, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia and developmental aphasia;

(b) "autism spectrum disorder" means a neuro-developmental condition typically appearing in the first three years of life that significantly affects a person's ability to communicate, understand relationships and relate to others, and is frequently associated with unusual or stereotypical rituals or behaviours.

3. Mental behaviour,—

"mental illness" means a substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation or memory that grossly impairs judgment, behaviour, capacity to recognise reality or ability to meet the ordinary demands of life, but does not include retardation which is a condition of arrested or incomplete development of mind of a person, specially characterised by subnormality of intelligence.

4. Disability caused due to—

(a) chronic neurological conditions, such as—

(i) "multiple sclerosis" means an inflammatory, nervous system disease in which the myelin sheaths around the axons of nerve cells of the brain and spinal cord are damaged, leading to demyelination and affecting the ability of nerve cells in the brain and spinal cord to communicate with each other;

(ii) "parkinson's disease" means a progressive disease of the nervous system marked by tremor, muscular rigidity, and slow, imprecise movement, chiefly affecting middle-aged and elderly people associated with degeneration of the basal ganglia of the brain and a deficiency of the neurotransmitter dopamine.

(b) Blood disorder—

(i) "haemophilia" means an inheritable disease, usually affecting only male but transmitted by women to their male children, characterised by loss or impairment of the normal clotting ability of blood so that a minor wound may result in fatal bleeding;

(ii) "thalassemia" means a group of inherited disorders characterised by reduced or absent amount of haemoglobin.

(iii) "sickle cell disease" means a hemolytic disorder characterised by chronic anemia, painful events, and various complications due to associated tissue and organ damage;

Explanation: "hemolytic" refers to the destruction of the cellmembrane of red blood cells resulting in the release of haemoglobin.

5. Multiple Disabilities (more than one of the above specified disabilities) including deaf blindness which means a condition in which a person may have combination of hearing and visual impairments causing severe communication, developmental, and educational problems.

6. Any other category as may be notified by the State Government.

RAM NAIK,
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 163 राजपत्र-2018-(400)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 16 सा० विधायी-2018-(401)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

प्रेषक,

मुकुल सिंहल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक: 16 मार्च, 2021

विषय:- उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांगों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2021 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांगों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2021 की प्रति अनुपालनार्थ संलग्न कर प्रेषित है।
संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,
मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1/2021/18/1/95(1)-का-2/2021, तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री. राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा. मंत्रिगण को, मा. मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. प्रधान निजी, सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
9. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
10. निबंधक, मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ बेंच, लखनऊ।
11. वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ.प्र.।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. गार्ड फाइल।

आजा से,
निर्मल कुमार शुक्ल
अनु सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 10 मार्च, 2021

फाल्गुन 19, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1

संख्या 450/79-वि-1-21-1-क-12-21

लखनऊ, 10 मार्च, 2021

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2021 जिससे कार्मिक अनुभाग-2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 10 मार्च, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2021) के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2021
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2021)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम

संख्या 4 सन् 1993 की
धारा 3 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 की धारा 3 में, उपधारा (1) में, खण्ड (एक-क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

(एक-क) समूह 'क' के पदों से भिन्न लोक सेवाओं और पदों में ऐसे दिनांक को और से, जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2021 गजट में प्रकाशित किया जाय, रिक्तियों का पाँच प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिए।

उद्देश्य और कारण

शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में पदों के आरक्षण का उपबन्ध करने के लिये उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 अधिनियमित किया गया है। पूर्वोक्त अधिनियम, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1999, जिसके माध्यम से समूह "क" एवं समूह "ख" के पदों से भिन्न पदों पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए पाँच प्रतिशत आरक्षण की अनुज्ञा प्रदान की गयी है, द्वारा संशोधित किया गया था।

राज्य की अधीनस्थ लोक सेवाओं और तत्सम्बन्धी पदों पर भूतपूर्व सैनिकों को प्रतिनिधित्व प्रदान किये जाने की दृष्टि से उन्हें समूह "ख" के पदों पर भी पाँच प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 450 (2)/LXXIX-V-1-21-1-ka-12-21

Dated Lucknow, March 10, 2021

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Sewa (Shaareerik Roop Se Viklaang, Swatantra Sangraam Senaanion Ke Aashrit Aur Bhootpoorva Sainikon Ke Liye Aarakshan) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2021 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 2021) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 10, 2021. The Kaarmik Anubhag-2 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR PHYSICALLY
HANDICAPPED, DEPENDENTS OF FREEDOM FIGHTERS AND
EX-SERVICEMEN) (AMENDMENT) ACT, 2021

(U.P Act no. 14 of 2021)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to The Uttar Pradesh Public Services (Reservation For Physically Handicapped, Dependents Of Freedom Fighters And Ex-Servicemen) Act, 1993.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy second year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation For Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters And Ex-Servicemen) (Amendment) Act, 2021. Short title

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993 in subsection (1) for the existing clause (i-a), the following clause shall be substituted, namely:- Amendment of section 3 of U.P. Act no. 4 of 1993

(i-a) in public services and posts other than Group 'A' posts, on and from the date on which the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) (Amendment) Act, 2021 is published in the *Gazette*, five percent of vacancies for ex-servicemen.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993 has been enacted to provide for reservation of posts in favour of physically handicapped, dependents of freedom fighters and Ex-Servicemen. The aforesaid Act was amended *vide* the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) (Amendment) Act, 1999 whereby five percent reservation of ex-servicemen is permitted on posts other than Group "A" and Group "B" posts.

With a view to providing representation to ex-servicemen in State subordinate public services and posts, it has been decided to provide five percent reservation to them in Group "B" posts also.

The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Bill, 2021 is introduced accordingly.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 790 राजपत्र-2021-(1678)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 269 सा० विधायी-2021-(1679)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।



The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped,
Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993

Act 4 of 1993

Keyword(s):

Blindness, Cerebral Palsy, Hearing Impairment, Locomotor Disability, Low Vision, Physically Handicapped

Amendment appended: 6 of 1997, 29 of 1999, 8 of 2008, 12 of 2016, 32 of 2018

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 30 दिसम्बर, 1993

पौष 9, 1915 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1

संख्या-1694/सत्रह-वि-1-1(क) 27/1993

लखनऊ : 30 दिसम्बर, 1993

अधिसूचना विधाय

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महादय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1993 पर दिनांक 29 दिसम्बर, 1993 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1993 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1993)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में पदों के आरक्षण की व्यवस्था करने और उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 कहा

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

जायेगा।

परिभाषाएँ

(2) यह 11 दिसम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2—इस अधिनियम में,—

(क) "पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1989 की अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है ;

(ख) "आश्रित" का तात्पर्य किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संदर्भ में ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के,—

(एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित अथवा अविवाहित), और

(दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और अविवाहिता पौत्री (पुत्र की पुत्री) से है।

(ग) "मृतपूर्व सैनिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय थलसेना, नौसेना या वायुसेना में किसी कोटि में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और जो—

(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवा निवृत्त हुआ है, या

(दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य अयोग्यता पेंशन दी गई है, या

(तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किए जाने के फलस्वरूप, अपनी स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है, या

(चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवामुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रॅज्युटी प्रदान की गई है,

और इसमें टैरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं—

(एक) निरंतर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले,

(दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और

(तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

(घ) "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे अधिवासी से है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और—

(एक) जिसने वीर गति प्राप्त की हो ; या

(दो) जिसने कम से कम दो मास की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा हो ; या

(तीन) जो नजरबन्दी या विचाराधीन बन्दी के रूप में जेल में कम से कम तीन मास की अवधि के लिये निरुद्ध हुआ हो ; या

(चार) जिसने कम से कम दस बंटों का दण्ड भोगा हो ; या

(पांच) जो गोली से घायल हुआ हो ; या

(छ) जिसे फरार घोषित किया गया हो ; या

(सात) जो 'पेशावर काण्ड' में रहा हो ; या

(आठ) जो आजाद हिन्द फौज का सदस्य रहा हो ; या

(नौ) जो इन्डिया इण्डेपेंडेंस लीग का प्रमाणित सदस्य रहा हो ; या

(दस) जिसे गांधी-हरविन समझौते के अन्तर्गत रिहा किया गया हो।

स्पष्टीकरण:— इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं समझा जायेगा जिसने माफी मांगी हो और उसे माफ कर दिया गया हो।

(ङ) "शारीरिक रूप से विकलांग" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है—

(एक) जो पूर्ण दृष्टि हीनता से ग्रस्त हो या जिसकी दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री के कोण के अन्तर से या उससे कम हो या जिसकी दृष्टि तीक्ष्णता चक्षुष्य के साथ ठीक अंश में 6/60 या 20/200 (सेनालिन) से अधिक न हो ; या

(दो) जिसे जीवन के सामान्य प्रयोजन के लिये सुनने का बोध न हो या जिसकी ठीक कान में सुनने की क्षमता की क्षति 90 डेसिबल से अधिक हो या जो दोनों कानों से पूर्ण रूप से न सुन सके ; या

(तीन) जिसे शारीरिक दोष हो या अंग विकृति हो जिससे कार्य करने में हड़्डियों, पेशियों और जोड़ों के सामान्य कार्य करने में बाधा पड़ती हो ;

(च) "मर्ती का वर्ष" का तात्पर्य पहली जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

3—(1) राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित लोक सेवाओं और पदों के लिए सीधी मर्ती के प्रक्रम पर रिक्तियों का पाँच प्रतिशत निम्नलिखित के पक्ष में आरक्षित होगा :—

(एक) शारीरिक रूप से विकलांग,

(दो) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, और

(तीन) मृतपूर्व सैनिक ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट श्रेणियों का अलग-अलग कोटा वह होगा जो राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित आदेश द्वारा प्रवधारित करे।

(3) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर चयनित व्यक्तियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा, जिनसे वे संबंधित है। उदाहरण के लिये यदि कोई चयनित व्यक्ति अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके संबंधित कोटे में रखा जायेगा, यदि वह अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके संबंधित कोटे में रखा जायेगा, यदि वह पिछड़े वर्ग श्रेणी से संबंधित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके संबंधित कोटे में रखा जायेगा। इसी प्रकार यदि वह खुली प्रतियोगिता श्रेणी से संबंधित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके संबंधित श्रेणी में रखा जायेगा।

(4) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए मर्ती का वर्ष इकाई के रूप में लिया जाएगा न कि यथास्थिति, संवर्ग या सेवा की सम्पूर्ण संख्या :

परन्तु किसी भी समय आरक्षण, यथास्थिति, संवर्ग या सेवा की सम्पूर्ण संख्या में अपनी-अपनी श्रेणियों के लिए अवधारित कोटे से अधिक नहीं होगी।

(5) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों के बिना भरे रहने पर उन्हें मर्ती के अगले वर्ष में अप्रतीत नहीं किया जायेगा।

4—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं दिया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य सीमा राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में प्रवृत्त होते हैं।

5—इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसे मामलों पर प्रवृत्त नहीं होंगे जिनमें चयन प्रक्रिया इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रारम्भ हो चुकी हो।

6—(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग आदि के लिये आरक्षण) अध्यादेश, 1993 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानी इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सार्वजनिक समय पर प्रवृत्त थे।

शारीरिक रूप से विकलांग आदि के पक्ष में रिक्तियों का आरक्षण

कठिनाइयों को दूर करना

अपवाद

निरसन और अपवाद

आज्ञा से,

एन० के० नारंग,

सचिव।

No. 1694(2)/XVII-V-1-1(K.A)-27-1993

Dated Lucknow, December 30, 1993

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Seva Sharcerik Roor Se Vikalang, Swatantrata Sangram Senaniyon Ke Asbrit Aur Bhutapurva Sanikon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1993 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 1993) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 29, 1993.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR PHYSICALLY HANDICAPPED, DEPENDENTS OF FREEDOM FIGHTERS AND EX-SERVICEMEN) ACT, 1993

(U. P. ACT NO. 4 OF 1993)

(As passed by the U.P. Legislature)

AN

ACT

to provide for the reservation of posts in favour of physically handicapped, dependents of freedom-fighters and ex-servicemen and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 11, 1993.

Definitions

2. In this Act—

(a) "Backward Classes" means the backward classes of citizens specified in Schedule I to the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Backward Classes) Act, 1989.

(b) "dependent" with reference to a freedom fighter means,—

(i) son and daughter (married or unmarried),

(ii) grandson (son of a son) and unmarried grand daughter (daughter of a son),

of the freedom-fighter.

(c) "ex-serviceman" means a person who has served in any rank, as a combatant or non-combatant, in the Indian Army, Navy or Airforce, and—

(i) has retired from such service after earning his pension, or

(ii) has been released from such service on medical grounds, in accordance with the requirements of such service, or because of circumstances beyond his control and has been granted medical or disability pension, or

(iii) has been released, otherwise than on his own request, as a consequence of reduction in the establishment of such service, or

(iv) has been released from such service after a fixed specific period, but has not been released on his own request or has not been dismissed or discharged on account of misconduct or inefficiency and has been granted gratuity;

and includes the following categories of territorial Army personnel who—

(i) get pension for continuous embodied service,

(ii) have become medically unfit owing to military service, and

(iii) are winners of gallantry award.

(d) "freedom fighter" means a person domiciled in Uttar Pradesh who had participated in the freedom struggle of India and had—

- (i) laid down his life; or
- (ii) undergone sentence of imprisonment for a period of at least two months; or
- (iii) been detained in prison as an undertrial or a detend for a period of at least three months; or
- (iv) been sentenced with at least ten canes; or
- (v) been declared as an absconder; or
- (vi) sustained bullet injuries; or
- (vii) participated in 'Peshawar Kand'; or
- (viii) been a member of Indian National Army; or
- (ix) been a certified member of India Independence League; or
- (x) been released under the 'Gandhi Irwin Pact'.

Explanation—For the purposes of this clause, a person who had sought and had been pardoned shall not be deemed to be a freedom fighter.

(e) "physically handicapped" means a person—

(i) who suffers from total absence of eyesight or from limitation of the field of vision subtending an angle of 20 degrees or worse or whose visual acuity does not exceed $6/60$ or $20/200$ (snellen) in the better eye with correcting lense; or

(ii) whose sense of hearing is non functional for ordinary purposes of life or who suffers from hearing loss of more than 90 decibels in the better ear (Profound impairment) or total loss of hearing in both ears; or

(iii) who has a physical defect or deformity which causes an interference with the normal functioning of the bones, muscles and joints.

(f) "year of recruitment" means a period of twelve-months commencing on the first of July.

3. (1) In public services and posts in connection with the affairs of the State there shall be reserved five per cent of vacancies at the stage of direct recruitment in favour of—

- (i) physically handicapped,
- (ii) dependents of freedom fighters, and
- (iii) ex-servicemen.

Reservation of vacancies in favour of physically handicapped etc.

(2) The respective quota of the categories specified in sub-section (1) shall be such as the State Government may from time to time determine by a notified order.

(3) The persons selected against the vacancies reserved under sub-section (1) shall be placed in the appropriate categories to which they belong. For example, if a selected person belongs to Scheduled Castes category he will be placed in that quota by making necessary adjustments; if he belongs to Scheduled Tribes category, he will be placed in that quota by making necessary adjustments; if he belongs to Backward Classes category, he will be placed in that quota by making necessary adjustments. Similarly if he belongs to open competition category, he will be placed in that category by making necessary adjustments.

(4) For the purposes of sub-section (1) an year of recruitment shall be taken as the unit and not the entire strength of the cadre or service, as the case may be;

Provided that at no point of time the reservation shall, in the entire strength of cadre, or service, as the case may be, exceed the quota determined for respective categories.

(5) The vacancies reserved under sub-section (1) shall not be carried over to the next year of recruitment.

Removal of difficulties

4. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by a notified order, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of the period of two years from the commencement of this Act.

(3) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, before both the Houses of State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

Savings

5. The provisions of this Act shall not apply to cases in which selection process has started before the commencement of this Act.

Repeal and Savings

6. (1) The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped etc.) Ordinance, 1993 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
N. K. NARANG,
Sachiv.

U
Ord
No.
199

No. 1087(2)/XVII-V-1—1 (KA)12-1997

Dated Lucknow, July 31, 1997

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Seva (Sharirik Roop Se Viklang, Swatantrata Sangram Senaniyon Ke Ashrit Aur Bhutpurva Sainikon ke Liye Aarakshan) (Sanshodhan) Adhinyam, 1997 (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhya 6 of 1997) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 30, 1997.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR PHYSICALLY HANDICAPPED, DEPENDENTS OF FREEDOM FIGHTERS AND EX-SERVICEMEN) (AMENDMENT) ACT, 1997

(U. P. ACT NO. 6 OF 1997)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

to amend the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) (Amendment) Act, 1997.

(2) It shall be deemed to have come into force on July 9, 1997.

Amendment of section 2 of U. P. Act no. 4 of 1993

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993, hereinafter referred to as the principal Act,—

(a) for clause (a) the following clauses shall be substituted namely :—

“(a) “blindness” refers to a condition where a person suffers from any of the following conditions, namely :—

(i) total absence of sight; or

(ii) visual acuity not exceeding 6/60 or 20/200 (snellen) in the better eye with correcting lenses; or

(iii) limitation of the field of vision subtending an angle of 20 degree or worse;

(aa) “cerebral palsy” means a group of non-progressive conditions of a person characterised by abnormal motor control posture resulting from brain insult or injuries occurring in the pre-natal, peri-natal or infant period of development ;”

(b) after clause (d), the following clauses shall be inserted, namely :—

“(dd) “hearing impairment” means loss of sixty decibels or more in the better ear in the conversational range of frequencies;

(ddd) “locomotor disability” means disability of the bones, joints or muscles leading to substantial restriction of the movement of the limbs or any form of cerebral palsy;

(dddd) “low vision” refers to a condition where a person suffers from impairment of visual functioning even after treatment or standard refractive correction but uses or is potentially capable of using vision for the planning or execution of a task with appropriate assistive device ;”

(c) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely :—

“(e) “Physically handicapped” means a person who suffers from :—

(i) blindness or low vision ;

(ii) hearing impairment ;

(iii) locomotor disability or cerebral palsy ;”

(d) for clause (f) the following clause shall be substituted, namely:—

“(f) words and expressions used but not defined in this Act and defined in the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 shall have the meaning assigned to them in that Act.”

3. In section 3 of the principal Act,—

Amendment of section 3

(a) for sub-section (1) the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(1) There shall be reserved at the stage of direct recruitment,—

(i) in public services and post two per cent of vacancies for dependents of freedom fighters and one per cent of vacancies for ex-servicemen;

(ii) in such public services and posts as the State Government may, by notification, identify one per cent of vacancies each for the persons suffering from,—

(a) blindness or low vision ;

(b) hearing impairment ; and

(c) locomotor disability or cerebral palsy.”

(b) sub-section (2) shall be omitted;

(c) in sub-section (3) for the words “Backward Classes”, the words “other backward classes of citizens” shall be substituted;

(d) sub-section (4) shall be omitted.

(e) for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(5) Where, due to non-availability of suitable candidates any of the vacancies reserved under sub-section (1) remains un-filled it shall be carried over to the next recruitment.”

4. In section 4 of the principal Act, sub-section (2) shall be omitted.

Amendment of section 4

5. For section 5 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Substitution of section 5

“5. (1) The provisions of this Act as amended by the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-servicemen) (Amendment) Act, 1997 shall not apply to cases in which selection process has been initiated before the commencement of the said Act and such cases shall be dealt with in accordance with the provisions of this Act as they stood before such commencement.

Explanation—For the purposes of this sub-section the selection process shall be deemed to have been initiated where, under the relevant service rules, recruitment is to be made on the basis of,—

(i) written test or interview only, the written test or the interview, as the case may be has started, or

(ii) both written test and interview, the written test has started.

(2) The provisions of this Act shall not apply to the appointment to be made under the Uttar Pradesh Recruitment of Dependent of Government Servant Dying in Harness Rules, 1974.”

Repeal and
savings

6. (1) The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-servicemen) (Amendment) Ordinance, 1997 is hereby repealed.

U. P.
Ordinance
no. 8 of 1997

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
R. D. MATHUR,
Pramukh Sachiv.

No. 1485 (2)/XVII-V-1-1(KA)-23-1999

Dated Lucknow, June 28, 1999

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Seva Samik Roop Se Viklang, Swatantrata Sangram Senaniyon Ke Ashir aur Bhootpurva Samikan Ke Liye Arakshan (Sanshodhan) Adhiniyam 1999 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 29 of 1999) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 27, 1999.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR PHYSICALLY HANDICAPPED, DEPENDENTS OF FREEDOM FIGHTERS AND EX-SERVICEMEN) (AMENDMENT) ACT, 1999

[U. P. ACT No. 29 OF 1999]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993.

IT IS HEREBY enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) (Amendment) Act, 1999.

Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on May 21, 1999.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993, hereinafter referred to as the principal Act, after clause (d) the following clause shall be inserted, namely :—

Amendment of section 2 of U.P. Act No. 4 of 1993

“(d-1) ‘group A post’ or ‘group B post’ means the post specified as such by the State Government from time to time :”

3. In section 3 of the principal Act, in sub-section (1) for clause (f) the following clauses shall be substituted, namely :—

Amendment of section 3

“(f) in public services and posts two per cent of vacancies for dependents of freedom fighters ;

(i-a) in public services and posts other than group ‘A’ posts or group ‘B’ posts, on and from May 21, 1999 two per cent of vacancies, and on and from the date on which the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) (Amendment) Act, 1999 is published in the Gazette five per cent of vacancies, for Ex-servicemen ;”

4. In section 5 of the principal Act, for sub-section (1), the following sub-sections shall be substituted, namely :—

Amendment of section 5

“(1) The provisions of this Act as amended by the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-servicemen) (Amendment) Act, 1997 shall not apply to cases in which selection process has been initiated before the commencement of the said Act of 1997 and such cases shall be dealt with in accordance with the provisions of this Act as they stood before such commencement.

(1-A) The provisions of this Act as amended by the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-servicemen) (Amendment) Act, 1999 shall not apply to cases in which selection process has been initiated before the commencement of the said Act of 1999 and such cases shall be dealt with in accordance with the provisions of this Act as they stood before such commencement.

Explanation—For the purposes of sub-sections (1) and (1-A) the selection process shall be deemed to have been initiated where, under the relevant service rules, recruitment is to be made on the basis of,—

- (i) written test or interview only, the written test or the interview, as the case may be, has started; or
- (ii) both written test and interview, the written test has started.”

Repeal and savings

5. (1) The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-servicemen) (Amendment) Ordinance, 1999 is hereby repealed.

U.P. (names) 11 of

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR
PHYSICALLY HANDICAPPED, DEPENDENTS OF FREEDOM FIGHTERS AND
EX-SERVICEMEN) (AMENDMENT) ACT, 2008

(U.P. ACT NO. 8 OF 2008)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN
ACT

Further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-servicemen) Act, 1993.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-servicemen) (Amendment) Act, 2008.

Short title

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-servicemen) Act, 1993, for sub-section (5) the following sub-section shall be substituted, namely:-

Amendment of
section 3 of U.P.
Act no. 4 of 1993

“(5) Where, due to non-availability of suitable candidates any of the vacancies reserved under sub-section (1) remains unfilled it shall be carried forward for further two selection years, whereafter it may be treated to be lapsed.”

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Clause (ii) of sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-servicemen) Act, 1993 provides that in such public services and posts in connection with the affairs of the State, as the State Government may, by notification, identify, one per cent of vacancies each for person suffering from :-

- (a) blindness or low vision;
- (b) hearing impairment; and
- (c) Locomotors disability or cerebral palsy

shall be reserved at the stage of direct recruitment.

2. In the instructions of the Government of India issued in connection with the provisions of The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 it is mentioned that if it is not possible to fill up such reserved vacancies during the said recruitment year, vacancies would be carried forward for further two years, whereafter it may be treated to be lapsed.

3. In order to maintain uniformity in the aforesaid Acts with regard to the filling of vacancies reserved for freedom fighters, ex-servicemen and the disable persons as aforesaid it has been decided to amend the said U.P. Act to provide that where due to non-availability of suitable candidates any of the vacancies reserved under sub-section (1) remains unfilled it shall be carried forward for further two selection years, whereafter it may be treated to be lapsed.

The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-servicemen) (Amendment) Bill, 2008 is introduced accordingly.

By order,
S.M.A. ABIDI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी०-1148 राजपत्र (हि०)-(2554)-2008-597 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी०-447 सा० विचारणी-(2555)-2008-850 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 7 अप्रैल, 2016

चैत्र 18, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

(विधायी अनुभाग-1)

संख्या 584/79-वि-1-16-1(क)9-2016

लखनऊ, 7 अप्रैल, 2016

अधिसूचना

विविध

“भारत के संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2016, पर दिनांक 6 अप्रैल, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2016

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2016)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1- यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 4
सन् 1993 की
धारा 3 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993, की धारा 3 में, उपधारा (5) निकाल दी जायेगी।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 1993) का अधिनियमन शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में पदों के आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (5) में यह उपबंध किया गया है कि जहाँ उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरी रह जाती है, तो उसे आगामी दो चयन वर्षों के लिए अग्रणीत किया जायेगा, उसके पश्चात वह रिक्ति व्यपगत समझी जायेगी।

उक्त उपबन्ध को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 49778/2015, आलोक कुमार सिंह तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य के माध्यम से यह अभिकथित करते हुए चुनौती दी गयी है कि यह असंवैधानिक है। उक्त रिट याचिका में निवेदित राहत को दृष्टिगत रखते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि पूर्वोक्त अधिनियम को संशोधित करके उसकी धारा 3 की उपधारा (5) को निकाल दिया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2016 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अब्दुल शाहिद,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN VIDHAYI ANUBHAG-1

No. 584(2)/79-V-1-16-1(ka)9-2016

Dated Lucknow, April 7, 2016

NOTIFICATION MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Seva (Sharirik Roop se Viklang, Swatantrata Sangram Senaniyon ke Ashrit aur Bhootpoorva Sainikon ke liye Arakshan) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 2016) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 6, 2016.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR PHYSICALLY HANDICAPPED, DEPENDENTS OF FREEDOM FIGHTERS AND EX-SERVICEMEN) (AMENDMENT) ACT, 2016

(U.P. Act no. 12 of 2016)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislaure)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) (Amendment) Act, 2016. Short title

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993, sub-section (5) shall be *omitted*. Amendment of section 3 of U.P. Act no. 4 of 1993

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993 (U.P. Act no. 4 of 1993) has been enacted to provide for the reservation of post in favour of physically handicapped, dependants of freedom fighters and ex-servicemen. In sub-section (5) of section 3 of the said Act, it is provided that where, due to non-availability of suitable candidates, any of the vacancies reserved under sub-section (1) remains unfilled, it shall be carried forward for further two selection years, whereafter it may be treated to be lapsed.

The said provision has been challenged before the Hon'ble High Court, Allahabad through writ petition No. 49778/2015, Alok Kumar Singh and Others Vs State of U.P. and Others alleging it unconstitutional. Keeping in view of the relief prayed in the said writ petition it has been decided to amend the aforesaid Act to *omit* sub-section (5) of section 3 thereof.

The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) (Amendment) Bill, 2016 is introduced accordingly.

By order,
ABDUL SHAHID,
Pramukh Sachiv.



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 1 सितम्बर, 2018

भाद्रपद 10, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1868/79-वि-1-18-1(क) 15-18

लखनऊ, 1 सितम्बर, 2018

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 पर दिनांक 1 सितम्बर, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2018

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 का अग्रतर संशोधन करने के लिये अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष से निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 23 जुलाई, 2018 को प्रवृत्त हुआ समझ जायेगा।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 4
सन् 1993 की
धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (ड) के स्थान निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

“(ड) शारीरिक निःशक्तता का तात्पर्य उन निःशक्तताओं से है जो इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।”

धारा 3 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1) में खण्ड (दो) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

“(दो) ऐसी लोक सेवाओं और पदों में, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, अभिज्ञात करें, प्रत्येक समूह के पदों में संवर्ग सदस्य संख्या में कुल रिक्तियों की संख्या का अन्यून चार प्रतिशत, सदभित निःशक्त व्यक्तियों से भरा जाना तात्पर्यित है जिसमें से एक-एक प्रतिशत, खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए और एक प्रतिशत खण्ड (घ) और (ड) के अधीन संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जायेगा, अर्थात्:-

(क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि;

(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास;

(ग) प्रमस्तिष्कीय अंग धात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता;

(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता;

(ड) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुनिःशक्तता, जिसके अंतर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है,”

अनुसूची का बढ़ाया
जाना

4-मूल अधिनियम में निम्नलिखित अनुसूची अंत में बढ़ा दी जायेगी।

“अनुसूची

धारा 2 का खंड (ड) देखें
विनिर्दिष्ट शारीरिक निःशक्तता

1-शारीरिक निःशक्तता:-

क-चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता (व्यक्ति की विशिष्ट गतिविधियों को करने में असमर्थता, जो स्वयं और वस्तुओं के चालन से सहबद्ध है जिसका परिणाम पेशीकंकाली या तंत्रिका प्रणाली या दोनों में पीड़ा है), जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है:-

(क) “कुष्ठ उपचारित व्यक्ति” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कुष्ठ से उपचारित है किन्तु निम्नलिखित से पीड़ित है, -

(एक) हाथ या पैरों में संवेदना का ह्रास के साथ साथ आँख और पलक में संवेदना का ह्रास और आंशिक घात किन्तु व्यक्त विरुपता नहीं है;

(दो) व्यक्त विरुपता और आंशिक घात किन्तु अपने हाथों और पैरों में पर्याप्त चलन से सामान्य आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहने के लिए सक्षम है;

(तीन) अत्यन्त शारीरिक विकृति के साथ-साथ वृद्धावस्था, जो उन्हें कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से निवारित करती है और पद “कुष्ठ व्यक्ति” का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ख) “प्रमस्तिष्क धात” का तात्पर्य अविकासशील तन्त्रिका सम्बन्धी अवस्थाओं के किसी समूह से है जो शरीर के चलन और पेशियों के समन्वयन को प्रभावित करती हैं, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में क्षति के कारण उत्पन्न होता है, साधारणः जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरन्त पश्चात होती है;

(ग) "बौनापन" का तात्पर्य किसी चिकित्सीय या आनुवांशिक दशा से है जिसके परिणाम स्वरूप किसी वयस्क व्यक्ति की ऊँचाई चार फीट दस इंच (147 से.मी.) या उससे न्यून रह जाती है;

(घ) "ऐसी दुष्पोषण" का तात्पर्य वंशानुगत, आनुवांशिक पेशी रोग के किसी समूह से है जो मानव शरीर को संचल करने वाली पेशियों को कमजोर कर देता है और बहुदुष्पोषण के रोगी व्यक्तियों के जीन में वह सूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती है, जो उन्हें उस प्रोटीन को बनाने से निवारित करती है जिसकी उन्हें स्वास्थ्य पेशियों के लिए आवश्यकता होती है। इसकी विशेषता अनुक्रमिक अस्थिपंजर, पेशी की कमजोरी, पेशी प्रोटीनों में त्रुटियाँ और पेशी कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु है;

(ङ) "अम्ल आक्रमण पीड़ित" का तात्पर्य अम्ल या समान संक्षारित पदार्थ फेंकने के द्वारा हिंसक आक्रमण के कारण विरूपित किसी व्यक्ति से है।

ख-दृष्टि हास-

(क) "अंधता" का तात्पर्य ऐसी दशा से है जहाँ सर्वोत्तम सुधार के पश्चात् किसी व्यक्ति में निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति विद्यमान होती है,-

(एक) दृष्टि का पूर्णतया अभाव; या

(दो) सर्वोत्तम सम्भव सुधार के साथ अच्छी आँख दृष्टि संवेदनशीलता 3/60 या 10/200 (स्नेलन) से अन्यून; या

(तीन) 10 डिग्री से कम किसी कक्षांतरित कोण पर दृश्य क्षेत्र की परिसीमा;

(ख) "निम्न दृष्टि" का तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति होती है, अर्थात्:-

(एक) बेहतर आंख में सर्वोत्तम सम्भव सुधार के साथ-साथ 6/18 से अनधिक या 20/60 से कम 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) दृश्य संवेदनशीलता; या

(दो) 40 डिग्री से कम 10 डिग्री तक की दृष्टि अंतरित किसी कोण के क्षेत्र की सीमाएं।

ग-श्रवण शक्ति का हास -

(क) "बधिर" का तात्पर्य दोनों कानों में संवाद आवृतियों से 70 डिसबिल श्रव्य हास वाले व्यक्तियों से है ;

(ख) "ऊँचा सुनने वाले व्यक्ति" का तात्पर्य दोनों कानों से संवाद आवृतियों में 60 डिसबिल से 70 डिसबिल श्रव्य हास वाले व्यक्ति से है।

घ-"अभिवाक् और भाषा निःशक्तता" का तात्पर्य लेराइनजेक्टोमी या अफेसिया जैसी स्थितियों से उदभूत होने वाली स्थायी निःशक्तता से है, जो कार्बनिक या तंत्रिका सम्बन्धी कारणों से अभिवाक् और भाषा के एक या अधिक संघटकों को प्रभावित करती है।

2-"बौद्धिक निःशक्तता" ऐसी स्थिति है, जिसकी विशेषता दोनों बौद्धिक कार्य (तार्किक, शिक्षण, समस्या समाधान) और अनुकूलन व्यवहार में महत्वपूर्ण रूप से कमी होना है, जिसके अंतर्गत दैनिक सामाजिक और व्यवहारिक कौशल श्रृंखला आच्छादित है, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट है :-

(क) "विनिर्दिष्ट विद्या निःशक्तता" का तात्पर्य स्थितियों के किसी ऐसे विजातीय समूह से है जिसमें भाषा को बोलने या लिखने का प्रसंस्करण करने की कमी विद्यमान होती है जो बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी करने या गणितीय गणनाओं को समझने में कमी के रूप में सामने आती है और इसके अंतर्गत ऐसी स्थितियाँ सम्मिलित हैं यथा-बोधक निःशक्तता, डायसेलेक्सिया, डायसग्राफिया, डायसकेलकुलिया, डायसप्रेसिया और विकासात्मक अफेसिया भी सम्मिलित हैं;

(ख) "स्वलीनता स्पैक्ट्रम विकार" का तात्पर्य किसी ऐसी तंत्रिका विकास की स्थिति से है जो आमतौर पर जीवन के प्रथम तीन वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति की संपर्क करने की, संबंधों को समझने की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को प्रभावित करती है और प्रायः यह असामान्य या घिसे-पिटे कर्मकांडों या व्यवहारों से सहबद्ध होता है।

3-मानसिक व्यवहार-

"मानसिक रूग्णता" का तात्पर्य चिंतन, मनोदशा, बोध, पूर्वाभिमुखीकरण या स्मरणशक्ति के सारभूत विकार से है जो जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने

की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है किन्तु जिसके अंतर्गत मानसिक मंदता नहीं है जो किसी व्यक्ति के मास्तिष्क का विकास रूकने या अपूर्ण होने की स्थिति है, विशेषकर जिसकी विशिष्टता, बुद्धिमता का सामान्य से कम होना है।

4-निम्नलिखित के कारण निःशक्तता-

(क) चिरकारी तंत्रिका दशाएं जैसे,-

(एक) "बहु-स्केलेरोसिस" का तात्पर्य प्रवाहक, तंत्रिका प्रणाली रोग से है, जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं के चारों ओर रीढ़ की हड्डी की मायलिन सीथ क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे डिमायीलिनेशन होता है और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं और रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं की एक-दूसरे के साथ संपर्क करने की क्षमता प्रभावित होती है,

(दो) "पार्किंसन रोग" का तात्पर्य तंत्रिका प्रणाली के किसी प्रगामी रोग से है, जिसके द्वारा कम्प, पेशी, कठोरता और धीमा, कठिन चलन, मुख्यतया मध्य आयु वाले और वृद्ध लोगों से सम्बंधित मस्तिष्क के आधारीय गंडिका के अद्यपतन तथा तंत्रिका संचलन डोपामाइन के ह्रास से संबद्ध हो।

(ख) रक्त विकृति,-

(एक) "हेमोफीलिया" का तात्पर्य किसी आनुवंशिकीय रोग से है जो प्रायः पुरुषों को ही प्रभावित करता है किन्तु इसे महिला द्वारा अपने पुरुष बालकों को संप्रेषित किया जाता है, इसकी विशेषता रक्त के थक्का जमने की साधारण क्षमता का नुकसान होना है जिससे गौण घाव का परिणाम भी घातक रक्तस्राव हो सकता है;

(दो) "थेलेसीमिया" का तात्पर्य वंशानुगत विकृतियों के किसी समूह से है जिसकी विशेषता हिमोग्लोबिन की कमी या अनुपस्थिति है;

(तीन) "सिक्कल कोशिका रोग" का तात्पर्य होमोलेटिक विकार से है जो रक्त की अत्यंत कमी, पीड़ादायक घटनाओं, और जो सहबद्ध टिशुओं और अंगों को नुकसान से विभिन्न जटिलताओं में परिलक्षित होता है;

स्पष्टीकरण-"हेमोलेटिक", लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के नुकसान को निर्दिष्ट करता है जिसका परिणाम हिमोग्लोबिन का निकलना होता है।

5-बधिरता, अंधता सहित बहुनिःशक्तता (ऊपर विनिर्दिष्ट एक या एक से अधिक निःशक्तता) का तात्पर्य ऐसी किसी दशा से है जिसमें किसी व्यक्ति को श्रव्य और दृश्य का सम्मिलित ह्रास हो सकता है जिसके कारण संप्रेषण, विकास और शिक्षण संबंधी गंभीर समस्याएँ होती हैं।

6-कोई अन्य श्रेणी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।"

निरसन और
अपवाद

5-(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2018 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 11
सन् 2018

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993, शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में पदों के आरक्षण का उपबन्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ड) में शब्द "शारीरिक रूप से विकलांग" परिभाषित किये गये हैं और उक्त अधिनियम की

धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (दो) में यह उपबन्ध है कि राज्य के मामलों से सम्बन्धित लोक सेवाओं और पदों में, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक (क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि, (ख) श्रवण शक्ति में ह्रास, और (ग) चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्क घात से पीड़ित व्यक्तियों के लिए एक प्रतिशत रिक्तियाँ अभिज्ञानित कर सकती है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 भारत सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया है जिसमें शब्द "दिव्यांगजन" परिभाषित किए गए हैं।

दिव्यांगजनों से सम्बन्धित उक्त केन्द्रीय अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप उक्त अधिनियम में उपबन्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को लागू करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 23 जुलाई, 2018 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा, (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2018) प्रख्यापित किया गया है।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 1868(2)/LXXIX-V-1-18-1(ka)15-18

Dated Lucknow, September 1, 2018

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Seva, (Sharirik Roop Se Viklang, Swatantrata Sangram Senaniyon Ke Ashrit Aur Bhootpurva Sainikon Ke Liye Arakshan) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2018 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 32 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 1, 2018 :-

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR PHYSICALLY HANDICAPPED, DEPENDANTS OF FREEDOM FIGHTERS AND EX-SERVICEMEN) (AMENDMENT) ACT, 2018
(U.P. ACT NO. 32 OF 2018)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependants of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependants of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) (Amendment) Act, 2018.

Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on July 23, 2018.

Amendment of
section 2 of U.P.
Act no. 4 of 1993

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependants of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993 hereinafter referred to as the principal Act, for clause (e) the following clause shall be *substituted*, namely :-

"(e) Physical disability means the disabilities as specified in the Schedule appended to this Act."

Amendment of
section 3

3. In section 3 of the principal Act, in sub-section (1) for clause (ii) the following clause shall be *substituted*, namely :-

"(ii) In such public services and posts as the State Government may, by notification, identify not less than four percent, of the total number of vacancies in the cadre strength in each group of posts meant to be filled with persons with benchmark disabilities of which, one percent each shall be reserved for persons with benchmark disabilities under clauses (a), (b) and (c) and one percent for persons with benchmark disabilities under clauses (d) and (e), namely:—

(a) blindness and low vision;

(b) deaf and hard of hearing;

(c) locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy;

(d) autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness;

(e) multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf-blindness in the posts identified for each disabilities."

Insertion of
Schedule

4. In the principal Act, the following schedule shall be *inserted* at the end .

"SCHEDULE

[See clause (e) of section 2]

Specified Physical Disability

1- Physical disability:-

A. Locomotor disability (a person's inability to execute distinctive activities associated with movement of self and objects resulting from affliction of musculoskeletal or nervous system or both), including—

(a) "leprosy cured person" means a person who has been cured of leprosy but is suffering from—

(i) loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in the eye and eye-lid but with no manifest deformity;

(ii) manifest deformity and paresis but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity;

(iii) extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him/her from undertaking any gainful occupation, and the expression "leprosy cured" shall construed accordingly;

(b) "cerebral palsy" means a group of non-progressive neurological condition affecting body movements and muscle coordination, caused by damage to one or more specific areas of the brain, usually occurring before, during or shortly after birth;

(c) "dwarfism" means a medical or genetic condition resulting in an adult height of 4 feet 10 inches (147 centimeters) or less;

(d) "muscular dystrophy" means a group of hereditary genetic muscle disease that weakens the muscles that move the human body and persons with multiple dystrophy have incorrect and missing information in their genes, which prevents them from making the proteins they need for

healthy muscles. It is characterised by progressive skeletal muscle weakness, defects in muscle proteins, and the death of muscle cells and tissues;

(e) "acid attack victims" means a person disfigured due to violent assaults by throwing of acid or similar corrosive substance.

B. Visual impairment—

(a) "blindness" means a condition where a person has any of the following conditions, after best correction—

(i) total absence of sight; or

(ii) visual acuity less than 3/60 or less than 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible correction; or

(iii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 10 degree.

(b) "low-vision" means a condition where a person has any of the following conditions, namely:—

(i) visual acuity not exceeding 6/18 or less than 20/60 upto 3/60 or upto 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible corrections; or (ii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 40 degree up to 10 degree.

C. Hearing impairment—

(a) "deaf" means persons having 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;

(b) "hard of hearing" means person having 60 DB to 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears.

D. "speech and language disability" means a permanent disability arising out of conditions such as laryngectomy or aphasia affecting one or more components of speech and language due to organic or neurological causes.

2. Intellectual disability, a condition characterised by significant limitation both in intellectual functioning (reasoning, learning, problem solving) and in adaptive behaviour which covers a range of every day, social and practical skills, including—

(a) "specific learning disabilities" means a heterogeneous group of conditions wherein there is a deficit in processing language, spoken or written, that may manifest itself as a difficulty to comprehend, speak, read, write, spell, or to do mathematical calculations and includes such conditions as perceptual disabilities, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia and developmental aphasia;

(b) "autism spectrum disorder" means a neuro-developmental condition typically appearing in the first three years of life that significantly affects a person's ability to communicate, understand relationships and relate to others, and is frequently associated with unusual or stereotypical rituals or behaviours.

3. Mental behaviour,—

"mental illness" means a substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation or memory that grossly impairs judgment, behaviour, capacity to recognise reality or ability to meet the ordinary demands of life, but does not include retardation which is a condition of arrested or incomplete development of mind of a person, specially characterised by subnormality of intelligence.

4. Disability caused due to—

(a) chronic neurological conditions, such as—

(i) "multiple sclerosis" means an inflammatory, nervous system disease in which the myelin sheaths around the axons of nerve cells of the brain and spinal cord are damaged, leading to demyelination and affecting the ability of nerve cells in the brain and spinal cord to communicate with each other;

(ii) "parkinson's disease" means a progressive disease of the nervous system marked by tremor, muscular rigidity, and slow, imprecise movement, chiefly affecting middle-aged and

elderly people associated with degeneration of the basal ganglia of the brain and a deficiency of the neurotransmitter dopamine.

(b) Blood disorder—

(i) "haemophilia" means an inheritable disease, usually affecting only male but transmitted by women to their male children, characterised by loss or impairment of the normal clotting ability of blood so that a minor wound may result in fatal bleeding;

(ii) "thalassemia" means a group of inherited disorders characterised by reduced or absent amounts of haemoglobin.

(iii) "sickle cell disease" means a hemolytic disorder characterised by chronic anemia, painful events, and various complications due to associated tissue and organ damage;

Explanation :- "hemolytic" refers to the destruction of the cellmembrane of red blood cells resulting in the release of haemoglobin.

5. **Multiple Disabilities** (more than one of the above specified disabilities) including deaf blindness which means a condition in which a person may have combination of hearing and visual impairments causing severe communication, developmental, and educational problems.
6. **Any other category** as may be notified by the State Government."

Repeal and saving

5. (1) The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependants of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) (Amendment) Ordinance, 2018 is hereby repealed.

U.P.
Ordinance
no. 11 of
2018

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-servicemen) Act, 1993 has been enacted to provide for reservation of posts in favour of physically handicapped, dependents of freedom fighters and ex-servicemen. In clause (e) of section 2 of the said Act the words "physically handicapped" have been defined and clause (ii) of sub-section (1) of section 3 of the said Act provides that in such public services and posts in connection with the affairs of the State, the State Government may, by notification, identify one percent of vacancies each for person suffering from (a) blindness and low vision, (b) hearing impairment; and (c) locomotors disability or cerebral palsy.

The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, has been enacted by the Government of India in which the words "persons with disability" have been defined.

It has been decided to amend the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993 to make the provisions of the said Act identical to the provisions of the said Central Act with respect to the persons with disabilities.

Since the State Legislature was not in session and immediate Legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Public Services (Reservation For Physically Handicapped, Dependants of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) (Amendment) Ordinance, 2018 (U.P. Ordinance no. 11 of 2018) was promulgated by the Governor on July 23, 2018.

This Bill is introduced to the replace the aforesaid Ordinance .

By order,
VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 242 राजपत्र-(हिन्दी)-2018-(654)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 82 सा० विधायी-2018-(655)- 300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या-5/2019/4/1/2002/का-2/2019टी.सी.1

लखनऊ, दिनांक : 13 अगस्त, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4/1/2001-कार्मिक-2, दिनांक 25.06.2002 के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चिन्हांकित आरक्षण की व्यवस्था को लागू किये जाने हेतु 100 बिन्दुओं का रोस्टर निर्गत किया गया है। कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/4/1/2002/का-2/2019टी.सी.2, दिनांक 18.02.2019 द्वारा राज्य सरकार की सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर नियुक्ति के लिये तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सभी सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थाओं (अनुदानित एवं गैर अनुदानित) में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने हेतु आदेश निर्गत किये गये हैं।

2- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण आदेश निर्गत होने के उपरान्त प्रदेश में लागू रोस्टर प्रणाली में आयी कठिनाईयों के दृष्टिगत 100 बिन्दुओं का निर्गत रोस्टर व्यवस्था में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था के आधार पर रोस्टर प्रणाली में संशोधन किया जाना अपरिहार्य हो गया है। अतः रोस्टर व्यवस्था के संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-4/1/2001-कार्मिक-2, दिनांक 25.06.2002 को कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 18.02.2019 के अनुक्रम में संशोधित करते हुए आरक्षण को लागू करने के लिए एतद्वारा निम्नवत् रोस्टर प्रणाली जारी किया जाता है:-

- 1- अनुसूचित जाति
- 2- अनारक्षित
- 3- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 4- अनारक्षित
- 5- अनुसूचित जाति
- 6- अनारक्षित
- 7- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 8- अनारक्षित
- 9- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 10- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

- 11- अनुसूचित जाति
- 12- अनारक्षित
- 13- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 14- अनारक्षित
- 15- अनुसूचित जाति
- 16- अनारक्षित
- 17- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 18- अनारक्षित
- 19- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 20- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**
- 21- अनुसूचित जाति
- 22- अनारक्षित
- 23- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 24- अनारक्षित
- 25- अनुसूचित जाति
- 26- अनारक्षित
- 27- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 28- अनारक्षित
- 29- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 30- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**
- 31- अनुसूचित जाति
- 32- अनारक्षित
- 33- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 34- अनारक्षित
- 35- अनुसूचित जाति
- 36- अनारक्षित
- 37- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 38- अनारक्षित
- 39- अन्य पिछड़ा वर्ग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

40- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

41- अनुसूचित जाति

42- अनारक्षित

43- अन्य पिछड़ा वर्ग

44- अनारक्षित

45- अनुसूचित जाति

46- अनारक्षित

47- अनुसूचित जनजाति

48- अनारक्षित

49- अनुसूचित जाति

50- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

51- अन्य पिछड़ा वर्ग

52- अनारक्षित

53- अनुसूचित जाति

54- अनारक्षित

55- अन्य पिछड़ा वर्ग

56- अनारक्षित

57- अन्य पिछड़ा वर्ग

58- अनारक्षित

59- अनुसूचित जाति

60- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

61- अन्य पिछड़ा वर्ग

62- अनारक्षित

63- अनुसूचित जाति

64- अनारक्षित

65- अन्य पिछड़ा वर्ग

66- अनारक्षित

67- अन्य पिछड़ा वर्ग

68- अनारक्षित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- 69- अनुसूचित जाति
- 70- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**
- 71- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 72- अनारक्षित
- 73- अनुसूचित जाति
- 74- अनारक्षित
- 75- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 76- अनारक्षित
- 77- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 78- अनारक्षित
- 79- अनुसूचित जाति
- 80- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**
- 81- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 82- अनारक्षित
- 83- अनुसूचित जाति
- 84- अनारक्षित
- 85- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 86- अनारक्षित
- 87- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 88- अनारक्षित
- 89- अनुसूचित जाति
- 90- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**
- 91- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 92- अनारक्षित
- 93- अनुसूचित जाति
- 94- अनारक्षित
- 95- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 96- अनारक्षित
- 97- अनुसूचित जनजाति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- 98- अनारक्षित
 99- अनुसूचित जाति
 100- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

मुकुल सिंहल
 अपर मुख्य सचिव।

संख्या-5/2019(1)/4/1/2002/का-2/2019टी.सी.1, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

- 1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
- 3) समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4) समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 5) सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 6) सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
- 7) सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
- 8) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
- 9) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ को 200 प्रतियाँ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग2 को उपलब्ध कराने हेतु ।
- 10) वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 11) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

अरविन्द मोहन चित्रांशी
 विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रेषक,

मुकुल सिंहल,
अपर मुख्य सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 2021

कार्मिक अनुभाग-2

विषय:- आरक्षित वर्गों के लिए लागू आरक्षण व्यवस्था हेतु प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-1.1(6)/2021-E-XXI, दिनांक: 22.03.2021 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के उक्त सन्दर्भित अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक: 22.03.2021 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सिविल सर्विस (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2021 में सम्मिलित होने के लिए आयोग की वेबसाइट पर दिनांक: 04 मार्च से 24 मार्च, 2021 तक ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध है जिसके अन्तर्गत एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/ई0डब्ल्यू0एस0/पी0डब्ल्यू0बी0डी0 श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र की अन्तिम तिथि 23.03.2021 के पूर्व जारी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों, विशेषकर ओ0बी0सी0/ई0डब्ल्यू0एस0 के कतिपय प्रत्यावेदन इस आशय से प्राप्त हो रहे हैं कि प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया सम्बन्धी कार्य/सम्बन्धित अधिकारियों की अनुपलब्धता/कर्मचारियों की हड़ताल/कोविड-19 महामारी आदि समस्याओं के कारण प्रमाण-पत्र बनवाये जाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जाति प्रमाण-पत्र, दिव्यांग व्यक्तियों के दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए वांछित प्रमाण-पत्र ससमय निर्गत किया जाना आवश्यक ही नहीं वरन् अपरिहार्य है। किसी भी प्रकार के कार्याधिक्य के आधार पर इस कार्य में विलम्ब उचित नहीं है।

अतः जनपद स्तर के समस्त अधिकारियों को जाति प्रमाण-पत्र/दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें, ताकि प्रतियोगी छात्र/छात्राओं को कोई अहित न हो।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,
मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-3/2021/08भा.स. (1)/का-2/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि- सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली को उनके अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक: 22.03.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
निर्मेष कुमार शुक्ल
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

No. 221/MS/SECY GI/2021

वसुधा मिश्रा, भा.प्र.से.

Vasudha Mishra, IAS

५
६



सत्यमेव जयते

५-०४२०२१/५१-२/२०२१

सचिव

SECRETARY

संघ लोक सेवा आयोग

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

धौलपुर हाऊस, शाहजहाँ रोड

Dholpur House, Shahjahan Road

नई दिल्ली-110069

New Delhi-110069

MOST IMMEDIATE

राज्य प्रशासन
1.1(6)/2021-E.XXI

22nd March, 2021

Dear Shri Tiwari,

(This is regarding the Civil Services (Preliminary) Examination, 2021. I am to inform you in this connection that the online application form for this Examination is available on the Commission's Website for the aspirants during the period from 4th March to 24th March, 2021.

2. As per the Rules of the Examination, as notified by the Government (DoP&T), the candidates claiming reservation under the SC/ST/OBC/EWS/PwBD categories are required to have category certificates issued prior to the closing date of application i.e. 23rd March, 2021 (tomorrow).

3. It is to mention in this respect that number of representations have been received from the aspirants, especially claiming the reservation under OBC/EWS categories, that they are facing huge difficulties in obtaining the requisite category certificates due to various reasons including Elections-related work/non-availability of officers concerned/strike by employees/covid-19 pandemic, etc.

.....2

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या-1/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II
लखनऊ, दिनांक : 18 फरवरी, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 12.01.2019 के माध्यम से भारत का संविधान में 103वां संशोधन करते हुये सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों में नियुक्ति के लिये व अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थानों (अनुदानित एवं गैर अनुदानित) में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये अधिकतम 10 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य किया गया है।

2. तत्क्रम में समाज कल्याण विभाग के आदेश संख्या-325/26-3-2019, दिनांक-22.01.2019 द्वारा राज्य सरकार की सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों में नियुक्ति के लिये तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सभी सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थाओं (अनुदानित एवं गैर अनुदानित) में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

3. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-17.01.2019 के क्रम में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या-36039/1/2019-Estt.(Res.), दिनांक-19.01.2019 के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भारत सरकार की सिविल पोस्ट एण्ड सर्विसेज में आरक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गयी है, जो निम्नवत् है :-

"Reference is invited to Ministry of Social Justice and Empowerment O.M.No. F.No. 20013/01/2018-BC-II dated 17.01.2019 on the above mentioned subject, which, inter-alia, reads as under:-

"1. In pursuance of insertion of clauses 15(6) and 16(6) in the constitution vide the Constitution (One Hundred and Third Amendment)Act, 2019 and in order to enable the Economically Weaker Sections (EWSs)who are not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Socially and Educationally Backward Classes, to receive the benefits of reservation on a preferential basis in civil posts and services in the Government of India and admission in Educational Institutions, it has been decided by the Government to provide 10% reservation to EWSs in civil posts and services in Government of India and admission in Educational Institutions.

2. Persons who are not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Socially and Educationally Backward Classes and Whose family has gross annual income below Rs. 8.00 lakh are to be identified as EWSs for the benefit of reservation. Family for this purpose will include the person who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of

18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years. The income shall include income from all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc. and it will be income for the financial year prior to the year of application. Also persons whose family owns or possesses any of the following assets shall be excluded from being identified as EWSs, irrespective of the family income:

- i. 5 acres of Agricultural Land and above;
- ii. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- iii. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- iv. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

3. The income and assets of the families as mentioned in para 2 would be required to be certified by an officer not below the rank of Tehsildar in the States/UTs. The officer who issues the certificate would do the same after carefully verifying all relevant documents following due process as prescribed by the respective State/UT.

.....

5- Instructions regarding reservation in employment and admission to educational institutions will be issued by DOPT and Ministry of HRD respectively."

2. In pursuance of the above office Memorandum, it is hereby notified that 10% reservation would be provided for Economically Weaker Sections (EWSs) in Central Government posts and services and would be effective in respect of all Direct Recruitment vacancies to be notified on or after 01-02-2019

3. Detailed Instructions regarding operation of roster and procedure for implementation of EWS reservation will be issued separately. "

4- The Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act, 2019 के क्रम में भारत सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के सम्बन्ध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये की गयी आरक्षण की व्यवस्था के अनुसार ही, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ऐसे व्यक्तियों, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं हैं तथा उत्तर प्रदेश राज्य के ही मूल निवासी हैं, को राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण प्रदान करने हेतु निम्नवत् व्यवस्था / मानक निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(क) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ऐसे व्यक्तियों जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं हैं, को उत्तर प्रदेश सरकार की लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्तियों के प्रक्रम पर 10 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जाय।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार की लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्तियों के प्रक्रम पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये अनुमन्य किये गये 10 प्रतिशत

आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसे व्यक्ति, पात्र /अर्ह होंगे:-

(i) जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से प्राप्त होने वाली कुल वार्षिक आय ₹0-8.00 लाख से कम होगी। समस्त स्रोतों से आय में वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि से प्राप्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

आय सम्मिलित होगी और यह आय आरक्षण हेतु आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष की होगी। इस उद्देश्य के लिये लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति के परिवार में उसके/उसकी माता-पिता व 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसका/उसकी, पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के उसके बच्चे सम्मिलित होंगे। परन्तु ;

(ii) ऐसे व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में पात्र नहीं होंगे :-

- (अ) जिनके परिवार के स्वामित्व अथवा कब्जे में 05 एकड़ या इससे अधिक कृषि भूमि हो, या
- (ब) 1000 वर्ग फीट या इससे अधिक क्षेत्र का आवासीय फ्लैट हो, या
- (स) अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज या अधिक क्षेत्र का आवासीय भू-खण्ड हो, या
- (द) अधिसूचित नगर पालिकाओं के क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या अधिक क्षेत्र का आवासीय भू-खण्ड हो।

(iii) परिवार की आय और परिसम्पत्ति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा।

(iv) उत्तर प्रदेश सरकार की लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था दिनांक 01.02.2019 या इसके उपरान्त अधिसूचित / विज्ञापित होने वाली रिक्तियों पर प्रभावी होगी।

5. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-12-4/2019 दिनांक 17.01.2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ऐसे व्यक्तियों जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों जो वर्तमान में लागू आरक्षण व्यवस्था से आच्छादित नहीं हैं, के लिए केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए आदेश जारी किया गया है, जो निम्नवत् है :-

In accordance with the provisions of the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act 2019, and the reference of Ministry of Social Justice and Empowerment vide OM No. 20013/01/2018-BC-II dated-17th January 2019, enabling provision of reservation for the Economically Weaker Sections (EWSs) who are not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Socially and Educationally Backward Classes, It has been decided to provide reservation in admission to educational institutions subject to a maximum of ten percent of the total seats in each category. This would not apply to the minority educational institutions referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India.

2. The provision of reservations to the Economically Weaker Sections shall be in accordance with the directions contained in the OM No. 20013/01/2018-BC-II dated-17th January 2019 of the Ministry of Social Justice & Empowerment and shall be subject to the following:

a) The reservations shall be provided to EWSs for admission in Central Educational Institution, (as defined in clause (d) of section (2) of the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006) from the academic year 2019-20 onwards.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

b) The above reservation would not be applicable to the 8 Institutions of excellence, research institutions, institutions of national & strategic importance as specified in the Schedule to The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006, as amended from time to time, and appended to this OM, and to the minority educational institutions referred to in clause (1) of article 30 of the Constitution.

c) Every Central Educational Institution shall, with the prior approval of the appropriate authority (as defined in clause (c) of section 2 of The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006), increase the number of seats over and above its annual permitted strength in each branch of study or faculty so that the number of seats available, excluding those reserved for the persons belonging to the EWSs, is not less than the number of such seats available, in each category, for the academic session immediately preceding the date of the coming into force of this O.M.

d) Where, on a representation by any Central Educational Institution, the appropriate authority is satisfied that for reasons of financial, physical or academic limitations or in order to maintain the standards of education, the annual permitted strength in any branch of study or faculty of such institution cannot be increased for the academic session following the commencement of this Act, it may permit such institution to increase the annual permitted strength over a maximum period of two years beginning with the academic session following the commencement of this Act; and then, the extent of reservation for the Economically Weaker Sections shall be limited for that academic session in such manner that the number of seats made available to the Economically Weaker Sections for each academic session shall not reduce the number and the percentage of reservations provided for SC/ST/OBC categories.

e) The scheme for implementing the reservation for the EWS shall be displayed on the website of the institution as soon as possible, but no later than 31st March 2019.

3. The Chairman UGC, Chairman AICTE and Chairperson NCTE and the Bureau Heads of the Department of Higher Education in the Ministry of Human Resource Development responsible for management of the Institutions of National Importance are requested to ensure immediate compliance of this OM.

6. संविधान के 103वें संशोधन के क्रम में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए भारत सरकार द्वारा की गई उक्त व्यवस्था के अनुसार ही उत्तर प्रदेश में भी निम्नवत् कार्यवाही की जानी है:-

- 1) अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये वर्तमान में लागू राज्य सरकार की योजना/नीति से आच्छादित नहीं है, उन्हें अध्ययन की प्रत्येक शाखा अथवा संकाय में उपलब्ध कुल सीटों के सापेक्ष अधिकतम 10 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य किया जाय। प्रदेश में उत्कृष्टता प्राप्त अनुसंधान संस्थान, द सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूशन (रिजर्वेशन इन एडमिशन) एक्ट, 2006 के अंतर्गत इन्स्टीट्यूशन आफ नेशनल एण्ड स्ट्रेटजिक इम्पॉर्टेन्स जिन्हें भारत सरकार के आफिस मेमोरेन्डम दिनांक 17.01.2019 में सम्मिलित किया गया है, उन पर यह आरक्षण व्यवस्था प्रभावी नहीं होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 2) प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान अपनी प्रत्येक शाखा में निर्धारित वार्षिक सीटों की संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति से सीटों की संख्या में वृद्धि करेंगे, जो शैक्षणिक सत्र के तुरन्त बाद से पहले प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध ऐसी सीटों की संख्या से कम न हो।
- 3) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की प्रस्तावित व्यवस्था आगामी शैक्षिक सत्र-2019-20 से लागू की जाय।
- 4) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पात्रता का मानक प्रस्तर-4 के उप प्रस्तर(ख) के अनुसार ही होगा।

मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II(1), तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1) प्रमुख सचिव, श्री महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 2) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3) प्रमुख सचिव/ सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
- 4) निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
- 5) प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
- 6) समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7) समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 8) सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 9) सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
- 10) सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
- 11) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
- 12) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ को 200 प्रतियाँ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने हेतु ।
- 13) वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 14) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

अरविन्द मोहन चित्रांशी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।